[2021] 5 एस. सी. आर. 305

अभिषेक कुमार सिंह

वी.

जी. पटनायक और ओआरएस।

2019 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 625-626

में।

(2018 की सिविल अपील सं. 11017-11018)

3 जून, 2021

[ए. एम. खानविलकर और बी. आर. गवई, जे. जे.]

न्यायालय की अवमानना: दीवानी अवमानना-यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अवमानना की कार्रवाई केवल स्थापित मामलों के संबंध में ही की जानी चाहिए।

न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सीमित निर्देश और इस न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित पदों पर काम करने की अनुमति दी जाए और जब भी उन्हें नियमित वेतन दिया जाए-अवमानना के पहले सेट में याचिकाकर्ताओं की शिकायत याचिकाओं में कहा गया था कि प्रतिवादियों ने मजदूरी के बकाया के साथ सेवा की निरंतरता के साथ बहाली के बजाय उन्हें नए सिरे से नियुक्त किया है और इस प्रकार जानबूझकर इस न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया है

- उपयोग की गई अभिव्यक्ति केवल "याचिकाकर्ताओं को उन पदों पर काम करने की अनुमति देने के लिए है जो उनकी समाप्ति के समय उनके पास थे और" उन्हें महीने-दर-महीने नियमित वेतन का भुगतान करना "और" जब भी उन्हें वेतन मिलता है "-यह अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा का मामला नहीं है।

न्यायालय की अवमानना: दीवानी अवमानना-अवमानना याचिकाओं का दूसरा समूह, उत्तरदाताओं द्वारा जारी समाप्ति आदेश से निकलता है।

ये याचिकाएं अनिवार्य रूप से इस आरोप पर आगे बढ़ती हैं कि

प्रत्यर्थियों ने उक्त आदेश में निहित स्पष्ट निर्देश के बावजूद याचिकाकर्ताओं और इसी तरह रखे गए व्यक्तियों को सुनवाई का पूर्व अवसर नहीं देने में इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा जारी समाप्ति आदेश को पूरी तरह से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था-साथ ही, प्रत्यर्थियों को कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई थी

दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करने की कवायद करना भी शामिल है-यदि उत्तरदाता यह निष्कर्ष निकालते कि बेदाग उम्मीदवारों से बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना संभव था, तो वे उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होते।

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का पूर्व अवसर प्रदान करने के लिए फिर से कहा गया, हालांकि, विषय समाप्ति आदेश से जो एक बोलने वाला आदेश है, यह स्पष्ट है कि उचित जांच के बाद और मामले के सभी पहलुओं, विशेष रूप से जांच रिपोर्ट और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सहित विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों की राय थी कि दागी को अलग करना संभव नहीं था। उस आदेश में अभिलिखित कारणों के लिए बेदाग उम्मीदवार-प्रत्यर्थियों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के आलोक में कि बेदाग उम्मीदवारों से बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना संभव नहीं था, कानूनी रूप से, यह पालन करना चाहिए कि प्रतिवादी पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं और याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस दिए बिना विवादित आदेश पारित कर सकते हैं -

इस प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को पूर्व अवसर दिए बिना उक्त समाप्ति आदेश जारी करने में कुछ भी गलत नहीं था।

भारत का संविधान: अनुच्छेद 32 और 226-यदि समाप्ति आदेश पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर हमला किया जाता है।

संविधान, इस तरह की शिकायत को सामने लाया जा सकता है

भारत के संविधान के Art.32 के तहत रिट याचिका के माध्यम से संवैधानिक न्यायालय-यह एक अलग मामला है कि यह न्यायालय सीधे Art.32 के तहत शिकायत पर विचार करने में अनिच्छुक हो सकता है और इसके बजाय याचिकाकर्ता (ओं) को उच्च न्यायालय के समक्ष पहले अनुच्छेद के तहत उपचार समाप्त करने के लिए खारिज कर सकता है। 226 भारत के संविधान का-वर्तमान मामले में, अवमानना याचिकाओं और एक स्थानांतरण याचिका के रूप में अन्य कार्यवाही लंबित हैं जिसमें समाप्ति

आदेश विषय वस्तु है-इस प्रकार, इन मामलों में तर्क अतिव्यापी होंगे-इसमें, इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में स्वयं-समान आदेश का आक्षेप किया गया है-तथ्य यह है कि अन्य प्रभावित समान रूप से रखे गए व्यक्तियों ने सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की हैं और जिन्हें लंबित बताया गया है, इस न्यायालय के लिए रिट याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं हो सकती है-क्योंकि, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उद्देश्य से संबंधित मुद्दे का अवमानना याचिकाओं में उचित जवाब देने की आवश्यकता है।

केवल इस न्यायालय द्वारा-यह उच्च न्यायालय के लिए पक्षकारों के बीच पिछली कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की व्याख्या या व्याख्या करने के लिए खुला नहीं है-उच्च न्यायालय केवल इस अभिषेक कुमार सिंह बनाम के कथन का पालन कर सकता है।

जी. पटनायक और ओआरएस।

न्यायालय जो उस पर बाध्यकारी है-तदनुसार, प्रारंभिक आपत्ति

प्रतिवादियों द्वारा संविधान के Art.32 के तहत रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में इसी तरह के व्यक्तियों द्वारा विवादित आदेश पर हमला करने के लिए सीधे इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया, जो अवमानना याचिकाओं के दूसरे सेट का विषय भी है, स्थायी नहीं है-अदालत की अवमानना।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि यदि समाप्ति आदेश के उल्लंघन के आधार पर हमला किया जाता है

प्रासंगिक पहलुओं पर उच्च न्यायालय। दूसरे शब्दों में, यह रिट याचिका की रखरखाव का सवाल नहीं है, बल्कि अनुच्छेद के तहत रिट याचिका पर विचार करने में सावधानी के साथ विवेक का प्रयोग करने का सवाल है। 32 ऐसे मामलों में। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, अवमानना याचिकाओं के रूप में अन्य कार्यवाही लंबित हैं और

स्थानांतरण याचिका जिसमें समाप्ति आदेश दिनांक 02.03.2020 है।

केवल इस न्यायालय द्वारा याचिकाएँ। पक्षकारों के बीच पिछली कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की व्याख्या या व्याख्या करना उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं है। उच्च न्यायालय केवल इस न्यायालय के आदेश का पालन कर सकता है जो उस पर बाध्यकारी है। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 32 [2021] 5 एस. सी. आर. के तहत रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्ति।

समान रूप से रखे गए व्यक्तियों द्वारा सीधे इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया

दिनांकित 2.3.2020 के विवादित आदेश पर हमला करना, जो अवमानना याचिकाओं के दूसरे सेट का विषय भी है, टिकाऊ नहीं है। [पैरा 56] [340-सी-एच]

2.1 याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया और इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया स्पष्ट निर्देश था

याचिकाकर्ताओं को पूर्ण वेतन के साथ उसी पद पर बहाल करना। इसलिए उत्तरदाता आदेश जारी करने के लिए बाध्य थे।

महीने के अनुसार जब यह देय हो जाता है और उन्हें देय हो जाता है। इसी तर्ज पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा पारित समाप्ति आदेश को चुनौती देने वाली एक अन्य रिट याचिका का निपटारा किया। इन आदेशों में, उच्च न्यायालय द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "याचिकाकर्ताओं को संबंधित पदों पर काम करने की अनुमति देने और उन्हें नियमित वेतन का भुगतान करने के लिए है। समीक्षा याचिका में पारित आदेश के अवलोकन से यह भी संकेत नहीं मिलता है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं की बहाली का निर्देश दिया है। सेवा की निरंतरता और वापस मजदूरी, जैसे। यहां तक कि प्रतिवादियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करने वाले इस न्यायालय के फैसले में भी ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। सीमित दिशा यह है कि

उत्तरदाताओं को पहले उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय पर कार्य करना चाहिए और उसके बाद ही एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करके कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ना चाहिए। [पैरा 58] [341-सी-जी; 342-सी-ई]

2.2 उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय ने पहले समाप्ति आदेश को पूरी तरह से इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था और आगे कहा कि दागी उम्मीदवारों को बेदाग से अलग करने की कवायद शुरू किए बिना समग्र रूप से चयन रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

जबकि अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस।

यह स्पष्ट किया गया कि उत्तरदाता कानून के अनुसार एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र थे। [पैरा 59] [342-ई-एफ]

2.3 उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है।

कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पाठ के अनुसार, यह उत्तरदाताओं के लिए आदेश की तारीख से याचिकाकर्ताओं को उन्हीं पदों पर फिर से नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए खुला था और उसके बाद उन्हें महीने दर महीने या जब भी यह उन्हें प्राप्त होगा, नियमित वेतन का भुगतान करना। उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में याचिकाकर्ताओं को सेवा और पिछले वेतन की निरंतरता के साथ बहाल करने का स्पष्ट निर्देश नहीं है। इसके बजाय, उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति केवल "याचिकाकर्ताओं को उन पदों पर काम करने की अनुमति देने के लिए" है जो उनकी समाप्ति के समय उनके पास थे और "उन्हें महीने-दर-महीने नियमित वेतन का भुगतान करना" और "जब भी उन्हें वेतन मिलता है"। इस प्रकार समझा जाए तो यह न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा का मामला नहीं है। तर्क के अनुसार, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 28.11.2017 के कथित आदेशों की याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रचारित व्याख्या एक संभावित दृष्टिकोण है। एक अन्य संभावित दृष्टिकोण होने के कारण, उत्तरदाताओं को लाभ दिया जाना चाहिए। क्योंकि, यह निश्चित रूप से जानबूझकर अवज्ञा का मामला नहीं होगा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अवमानना की कार्रवाई केवल स्थापित जानबूझकर अवज्ञा के संबंध में आगे बढ़नी चाहिए

उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया और इस न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया गया सीमित निर्देश याचिकाकर्ताओं को संबंधित पदों पर काम करने की अनुमति देना और उन्हें नियमित वेतन का भुगतान करना था। और जब वही उन्हें प्राप्त होता है, तो विचाराधीन याचिका को केवल अस्वीकार करने के लिए दर्ज करने की आवश्यकता होती है। हाथ में मामला प्रत्यर्थियों के अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश की विवादास्पद, बहुत कम जानबूझकर अवज्ञा की परीक्षा को योग्य नहीं बनाता है

इस तरह। [पारस 60,61,62,63,64] [342-जी-एच; 343-बी-डी; 345-बी-सी]

सुशीला राजे होल्कर बनाम। अनिल काक (सेवानिवृत्त) (2008) 14 एस. सी. सी. 392 [2008] 7 एस. सी. आर. 278; बिहार राज्य बनाम। रानी

सोनाबती कुमारी एआईआर 1961 एससी 221: [1961] एससीआर 728; मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम। महिंदर सी. मेहता और अन्य।

(2007) 13 एससीसी 220: [2007] 10 एस. सी. आर. 933; राम किशन

वी. तरुण बजाज और ओआरएस। (2014) 16 एससीसी 204: [2014] 1

एस. सी. आर. 538; शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल और अन्य।

वी. वेद प्रकाश जोशी और अन्य। (2005) 6 एससीसी 98:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1 पूरक। एससीआर 620; के. जी. डेरासरी और अन्र. वी. भारत संघ और अन्य। (2001) 10 एस. सी. सी. 496; दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम। क्रांति जूनियर अध्याय महाविद्यालय (डी.

एड.) & ओआरएस। (2013) 10 एससीसी 324: [2013] 9 एस. सी. आर. 1; पी. करुपैया (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम। महाप्रबंधक, थ्रूवल्लुवर परिवहन निगम लिमिटेड (2018) 12 एस. सी. सी. 663: [2017] 10 एससीआर 557 -

पर भरोसा किया।

3.1 अवमानना याचिकाओं का दूसरा समूह, प्रत्यर्थियों द्वारा जारी समाप्ति आदेश से निकलता है। ये याचिकाएं

अनिवार्य रूप से इस आरोप पर आगे बढ़ें कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को सुनवाई का पूर्व अवसर नहीं देने में इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की। उक्त आदेश। न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा जारी समाप्ति आदेश को पूरी तरह से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। साथ ही, उत्तरदाताओं को इसके अनुसार एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई थी

कानून के साथ जिसमें पृथक्करण का अभ्यास करना शामिल है

बेदाग उम्मीदवारों से दागी। वास्तव में, न्यायालय को उम्मीद थी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई करने से पहले, प्रत्यर्थियों को उन्हें सुनने का अवसर देना चाहिए। यह अवलोकन प्रासंगिक है। यह खेल में आ जाएगा पर निर्भर करता है दागी और बेदाग उम्मीदवारों में अंतर करने के लिए उनके द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर उचित विचार करने के बाद उत्तरदाताओं द्वारा अंततः बनाई गई राय संभव या अन्यथा थी। क्या उत्तरदाताओं ने निष्कर्ष निकाला था कि अलग करना संभव था

बेदाग उम्मीदवारों से दागी होने पर, वे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होते और पूर्व अवसर का खर्च उठाने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.11.2018 आदेश में दोहराया जाता।

याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को ताजा, तर्कपूर्ण आदेश पारित करने से पहले सुनना। हालांकि, आई. डी. 1 दिनांकित विषय समाप्ति आदेश से, जो एक बोलने वाला आदेश है, यह स्पष्ट है कि उचित जांच के बाद और मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से जांच रिपोर्ट और एस. आई. टी. की अंतिम रिपोर्ट सहित विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए,

उत्तरदाताओं की यह सुविचारित राय थी कि उस क्रम में दर्ज कारणों से दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं था। यह चुनौती का विषय है अभिषेक कुमार सिंह बनाम।

जी. पटनायक और ओआरएस।

उत्तरदाताओं ने कहा कि दागी को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं था, कानून में, यह पालन करना चाहिए कि उत्तरदाता पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं और विवादित को पारित कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस दिए बिना आदेश। [पारस 65,66,67] [345-डी-ई; 346-सी-जी, एच; 347-ए-बी]

भारत संघ और अन्य। वी. ओ. चक्रधर (2002) 3 एससीसी 146 [2002] 1 एससीआर 1091; वीरेंद्र कुमार गौतम

& ओआरएस। वी. करुणा निधान उपाध्याय और अन्य। (2016) 14

एससीसी 18 [2016] 7 एससीआर 223; विकास प्रताप सिंह और ओआरएस। वी. छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य। (2013) 14 एस. सी. सी. 494 [2013] 10 एस. सी. आर. 1114-पर निर्भर था।

2.3.2020 , कानून में, याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को पूर्व अवसर दिए बिना उक्त समाप्ति आदेश जारी करने में कुछ भी गलत नहीं था। यदि यह इस न्यायालय के दिनांकित 15.11.2018 के निर्णय के संदर्भ में दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करने की संभावना का मामला होता, जिसमें उत्तरदाताओं को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, तो यह एक अलग मामला होता। केवल उस मामले में, याचिकाकर्ता और इसी तरह रखे गए व्यक्ति इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.11.2018 द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की शिकायत कर सकते हैं। यहां तक कि अवमानना याचिकाओं का दूसरा सेट भी इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को अवसर देने के लिए दिए गए निर्देश का उल्लंघन करते हुए दिनांक 2.3.2020 के विषय समाप्ति आदेश का संदर्भ, दिनांक 15.11.2018 के आदेश के माध्यम से, विफल होना चाहिए। [पारस 68 और 69] [347-सी-एफ]

3.3 संबंधित अवमानना याचिकाओं में जारी कारणदर्शक नोटिसों का निर्वहन करते समय और सभी अवमानना का निपटारा करते समय

याचिकाओं में, स्थानांतरण याचिका और इस न्यायालय में दायर रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय के समक्ष खारिज करना उचित समझा जाता है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उनके उपचार को आगे बढ़ाया जा सके ताकि दिनांकित आदेश पर हमला किया जा सके और आगे निर्देश दिया जा सके कि सभी याचिकाओं में अतिव्यापी मुद्दों और [2021] 5 एस. सी. आर. शामिल हैं।

पूरक शपथपत्र के अनुलग्नक आर-29 में निर्दिष्ट या लंबित या दायर की जाने वाली किसी अन्य रिट याचिका की सूची, जिसकी पक्षकारों द्वारा उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाए, समान रूप से सुनवाई के लिए। उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह रिट याचिकाओं का शीघ्रता से निपटान करे, इस निर्णय में तय किए गए निर्णय के अलावा अन्य सभी तर्कों को संबंधित पक्षों के लिए खुला छोड़ दे जिन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाए। कानून के अनुसार इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। संबंधित अवमानना याचिकाओं में जारी कारण दर्शाओ नोटिसों को खारिज कर दिया जाता है। अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है; स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उसमें संदर्भित रिट याचिकाएं अब इस फैसले के संदर्भ में उच्च न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ेंगी; रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता के साथ किया जाता है, जिसमें हस्तक्षेप/अभियोग आवेदनों में आवेदक भी शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष उनका उपचार, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। उस रिट याचिका का निर्णय इस निर्णय में की गई टिप्पणियों के साथ-साथ इसी तरह के मुद्दों से जुड़ी अन्य लंबित या नई रिट याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह समान सुनवाई के लिए अतिव्यापी मुद्दों से जुड़ी सभी रिट याचिकाओं को एक साथ ले। [पारस 71,72] [348-डी-एच; 349-ए-सी]

उत्तर प्रदेश जल निगम और अन्य। वी. अजीत सिंह पटेल और अन्य। , (2019) 12 एससीसी 285: [2018] 13 एससीआर 804; जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम। के. पी. अग्रवाल और अनर. (2007) 2 एससीसी 433 [2007] 2 एससीआर 60; यू. पी. स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. उदय नारायण पांडे (2006) 1 एस. सी. सी. 479: [2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 609; हरियाणा वित्तीय

निगम और एन. आर. वी. जगदम्बा ऑयल मिल्स एंड अनर। (2002) 3 एससीसी 496: [2002] 1 एससीआर 621; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. के. एम. शंकरप्पा (2001) 1 एस. सी. सी. 582 [2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. 117; भारत संघ बनाम। अशोक कुमार अग्रवाल (2013) 16 एससीसी 147: [2013] 12 एससीआर 629; एम. पी. स्टेट कॉप। बैंक लिमिटेड भोपाल बनाम नानूराम यादव और अन्य। (2007) 8 एससीसी 264: [2007] 10 एस. सी. आर. 307; निधि कैम बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2016) 7 एस. सी. सी. 615 [2016] 7 एस. सी. आर. 822; कुन्हयमद और अन्य। वी. केरल राज्य और अनर। (2000) 6 एससीसी 359: [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 538; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम।

श्री अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस।

महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड, कोल्लेगल (2019) 4 एस. सी. सी. 376: [2019] 3 एस. सी. आर. 411; बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहकारी

सोसायटी लिमिटेड बनाम। गौतम गोस्वामी और अन्य। (2008) 5 एससीसी 339: [2008] 3 एस. सी. आर. 1137; सुधीर वासुदेव, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, तेल और प्राकृतिक गैस

निगम लिमिटेड और अन्य। वी. एम. जॉर्ज रविशेखरन

& ओआरएस। (2014) 3 एससीसी 373: [2014] 4 एस. सी. आर. 27; दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। (2010) 12 एससीसी 770: [2010] 13 एस. सी. आर. 599; कपिलदेव प्रसाद साह और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। (1999) 7 एससीसी 569 [1999] 1 पूरक। एस. सी. आर. 725; मो. इकबाल खांडे बनाम। अब्दुल माजिद राथर (1994) 4 एस. सी. सी. 34 [1994] 3 एस. सी. आर. 396; रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य [1950] एस. सी. आर. 594; मनोहर लाल (मृत)

एल. आर. वी. एलआर द्वारा उग्रसेन (मृत)। & ओआरएस। (2010) 11 एस. सी. सी. 557 [2010] 7 एस. सी. आर. 346; भारत संघ और अन्य। वी. एस. के. कपूर (2011) 4 एससीसी 589: [2011] 3 एससीआर 906; निशा देवी बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। (2014) 16 एससीसी 392: [2014] 3 एस. सी. आर. 483; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, देवघाट झालवा, इलाहाबाद और अन्र। वी. डॉ. अनुरिका वैश और अन्य। (2017) 5 एससीसी 660: [2017] 3 एससीआर 691; पी. एन. कुमार और अन्र. वी. दिल्ली नगर निगम (1987) 4 एस. सी. सी. 609: [1988] 1 एससीआर

732 ; कनुभाई ब्रह्मभट्ट बनाम। गुजरात राज्य 1989

पूरक (2) एस. सी. सी. 310: [1987] 2 एस. सी. आर. 314; कुंगा निमा लेप्चा और अन्य। वी. सिक्किम राज्य और अन्य। (2010) 4 एस. सी. सी. 513 [2010] 3 एस. सी. आर. 787; अखिल नागालैंड परिसंघ

राज्य सेवा कर्मचारी संघ। & ओआरएस। वी. नागालैंड राज्य (2006) 1 एस. सी. सी. 496; अमृत लाल बेरी बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, नई दिल्ली और अन्य। (1975) 4 एससीसी 714 [1975] 2 एससीआर 960; धर्मपाल सत्यपाल

सीमित वी। डी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गुवाहाटी और अन्य। (2015) 8 एस. सी. सी. 519 [2015] 6 एस. सी. आर. 437; भारत संघ और अन्य। वी. राजेश पी. यू. पुथुवलनिकथु और अन्र। (2003) 7 एससीसी 285: [2003] 1 पूरक। एससीआर 883; राजेश कुमार और अन्य। वी. बिहार राज्य और अन्य। (2013) 4 एससीसी 690: [2013] 4 एस. सी. आर. 753; के. चन्नेगौड़ा और अन्य। वी. कर्नाटक लोक सेवा आयोग और अन्य। (2005)

12 एससीसी 688: [2005] 4 पूरक। एससीआर 126; आधुनिक

डेंटल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र और अन्य। वी. की स्थिति मध्य प्रदेश और अन्य (2016) 7 एससीसी 353: [2016] 3

एस. सी. आर. 579; इंदरप्रीत सिंह काहलों और अन्य। वी. की स्थिति

पंजाब और ओआरएस। (2006) 11 एससीसी 356: [2006] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 772; गिरजेश श्रीवास्तव और अन्य। वी. मध्य राज्य

प्रदेश और ओआरएस। (2010) 10 एससीसी 707 [2010] 12 एससीआर

839 ; जोगिंदर पाल और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य।

(2014) 6 एससीसी 644 [2014] 6 एससीआर 383; पूर्णेन्दु मुखोपाध्याय और अन्य। वी. वी. के. कपूर और अन्र. (2008)

14 एससीसी 403: [2007] 11 एस. सी. आर. 462-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 13 एससीआर 804

संदर्भित किया गया है

पै

रा 1

[2013] 9 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[2007] 2 एससीआर 60

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[2005] 5 पूरक। एससीआर 609

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

[2005] 1 पूरक। एससीआर 620

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[2002] 1 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[2000] 5 पूरक। एससीआर 117

पै

रा 30

संदर्भित किया गया है

[2013] 12 एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2002] 1 एससीआर 1091

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[2016] 7 एससीआर 223

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[2007] 10 एससीआर 307

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2016] 7 एससीआर 822

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 पूरक। एससीआर 538

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[2019] 3 एससीआर 411

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2008] 3 एससीआर 1137

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2014] 4 एससीआर 27

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2014] 1 एससीआर 538

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2010] 13 एससीआर 599

संदर्भित किया गया है

पैरा 31 अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस।

[1999] 1 पूरक। एससीआर 725

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 31

[1994] 3 एससीआर 396

पैर

ा 31

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर 594

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 35

[2010] 7 एससीआर 346

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 36

[2011] 3 एससीआर 906

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 38

[2014] 3 एससीआर 483

पैर

ा 42

संदर्भित किया गया है

[2017] 3 एससीआर 691

पैर

ा 42

संदर्भित किया गया है

[1988] 1 एससीआर 732

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 42

[1987] 2 एससीआर 314

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 43

[2010] 3 एससीआर 787

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 43

(2006) 1 एससीसी 496

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 46

[1975] 2 एससीआर 960

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 46

[2015] 6 एससीआर 437

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 46

[2003] 1 पूरक। एससीआर 883

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 49

[2013] 4 एससीआर 753

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 49

[2005] 4 पूरक। एससीआर 126

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 49

[2016] 3 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 50

[2006] 1 पूरक। एससीआर 772

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 51

[2010] 12 एससीआर 839

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 51

[2014] 6 एससीआर 383

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 51

[2007] 11 एससीआर 462

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 51

[2008] 7 एससीआर 278

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 61

[1961] एससीआर 728

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 61

[2007] 10 एससीआर 933

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 61

(2001) 10 एससीसी 496

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 62

[2017] 10 एससीआर 557

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 63

[2013] 10 एससीआर 1114

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतर्निहित न्यायनिर्णय: अवमानना याचिका (सिविल) सं। 625-626 2019 से। सिविल अपील सं। 11017-11018 2018 से। सिविल अपील सं. में इस माननीय न्यायालय के दिनांकित 15.11.2018 के निर्णय और आदेश से। 11017-11018 2018 से।

के साथ

अवमानना याचिका (सिविल) सं। 642-643 सी. ए. सं. 2019 में। 11017-11018 2018 से, अवमानना याचिका (सिविल) सं। 671-672 सी. ए. सं. 2019 में। 11017-11018 2018 से,

अवमानना याचिका (सिविल) सं। 598-599 सी. ए. सं. 2020 में। 11017-11018 2018 से, अवमानना याचिका (सिविल) सं। 669-670 सी. ए. सं. 2020 में। 11017-11018 2018 से,

अवमानना याचिका (सिविल) सं। 671-672 सी. ए. सं. 2020 में।

11017-11018 2018 से,

डब्ल्यू. पी. (ग) 2020 की सं. 491 और टी. पी. (ग) 2020 की सं. 1209।

मुकुल रोहतगी, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, रवींद्र रायजादा, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोहम्मद. निजाम पाशा, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री समतेन डोमा, राजीव कुमार दुबे, सौरव सिंह चौहान, आशिवन मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, सुश्री वंशजा शुक्ला, मृत्युंजय सिंह, सुश्री अनुजा पेठिया, गौरव मेहरोत्रा, तल्हा अब्दुल रहमान, उत्सव मिश्रा, अभिनित जैसवाल, मोहम्मद। शाज खान, उदित अतुल कोंकणथांकर, कुमार शिवम, मयंक सप्रे, मोहम्मद। आतिफ, रोहित अनिल राठी, निजाम एम. पाशा, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, सुश्री संसृति पाठक, सुश्री साक्षी कक्कड़, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. ये मामले अनिवार्य रूप से मुख्य अभियंता (ए-2-1), उत्तर प्रदेश जल निगम, अभिषेक कुमार सिंह बनाम द्वारा जारी किए गए 4.12.2018 और 2.3.2020 के आदेशों पर हमला करते हैं।

जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

लखनऊ 1, इस न्यायालय के दिनांक 15.11.2018 के फैसले के अनुसार

सिविल अपील सं। 11017-11018 / 20182. इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (प्रतिवादी निगम) को निर्देश दिया था कि वह रिट याचिकाओं (प्रमुख मामले) के एक समूह में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 3 दिनांक 28.11.2017 के फैसले का पालन करे।

लिखने के लिए-ए नंबर. 37143/2017) और एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करें।

2. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, मुख्य अभियंता ने 4.12.2018 दिनांकित आदेश जारी किया, जिससे

याचिकाकर्ताओं और अन्य नियुक्तियों को उनकी पोस्टिंग के पिछले स्थान पर। हालांकि, इस चेतावनी के साथ कि उक्त नियुक्ति इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अधीन थी और प्रतिवादी निगम द्वारा कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। मुख्य अभियंता का दिनांकित 4.12.2018 का आदेश इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:

" मुख्य अभियंता (ए-21) यू. पी. जल निगम लखनऊ द्वारा पारित 11.8.2017 दिनांकित आदेश को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा डब्ल्यू. पी. सं. में अपने दिनांकित 28.11.2017 आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है। ए 37143/2017 और समीक्षा आवेदन संख्या 2/2018 को भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 25.07.2018 के आदेश में खारिज कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील सं. 11017-11018/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को बरकरार रखा है।

जैसे यू. पी. जल निगम और अन्य। वी. अजीत सिंह और अन्य।

उपरोक्त संदर्भ में आपसे अपने कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। जारी करने के 15 दिनों के भीतर अपनी पिछली पोस्टिंग स्थान पर

इस आदेश से।

कि यह स्पष्ट किया जा रहा है कि उक्त नियुक्ति होगी निगम को दी गई स्वतंत्रता के अधीन, माननीय द्वारा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 11017-11018/2018 में दिनांकित 15.11.2018 निर्णय के माध्यम से। संबंधित परिच्छेद हैं -

" 15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 28 नवंबर, 2017 और 25 जुलाई, 2017 के विवादित फैसले को चुनौती देने में विफल होना चाहिए, लेकिन इस स्पष्टीकरण के साथ कि सक्षम प्राधिकारी नए सिरे से पारित करने के लिए स्वतंत्र है, कानून के अनुसार तर्कपूर्ण आदेश।

1 संक्षेप में, "मुख्य अभियंता" या "उत्तरदाता" 2 उत्तर प्रदेश जल निगम और अन्य। वी. अजीत सिंह पटेल और अन्य। , (2019) 12 एस. सी. सी. 285 3 संक्षेप में, "उच्च न्यायालय" [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने कोई राय व्यक्त की है

किसी भी तरह से कार्रवाई के पाठ्यक्रम के गुणों पर खुला है

समान चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां। उस में सभी प्रश्न पक्ष को खुला छोड़ दिया जाता है।

994

कि नियुक्ति की नई तारीख से पहले कोई बकाया नहीं होगा निगम द्वारा प्रदान किया जाए। "

(जोर दिया गया)

3. अवमानना याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह आदेश विचाराधीन है

इस न्यायालय के दिनांकित 15.11.2018 के निर्णय के बारे में और इसलिए, प्रत्यर्थियों पर जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए कार्रवाई की जाए

इस न्यायालय का आदेश।

4. इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में

उपरोक्त निर्णय पर, प्रतिवादी निगम ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को रद्द करते हुए एक नया आदेश पारित किया और इसी तरह सहायक अभियंताओं को नियुक्त किया। नए निर्णय पर पहुंचने के लिए, दो आंतरिक जांच रिपोर्टों दिनांक आई. आई. आई. टी. इलाहाबाद दिनांक आई. आई. डी. 3 और आई. आई. टी. कानपुर दिनांक आई. आई. टी. कानपुर की विशेषज्ञ रिपोर्ट सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट दिनांक आई. डी. 6 और विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक आई. डी. 2 में प्रत्यर्थी निगम द्वारा प्राप्त भ्रष्टाचार के कारण भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए की गई सिफारिश पर भरोसा किया गया था। आई. आई. टी. कानपुर में सहायक प्रोफेसर और आई. आई. आई. टी. इलाहाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा क्रमशः 15.9.2018 और 11.9.2018 पर दी गई दो विशेषज्ञ रिपोर्टों में बताया गया है कि उम्मीदवारों के ऑडिट ट्रेल/चेकसम और टाइम स्टाम्प उपलब्ध नहीं कराए गए थे और इसलिए, प्राथमिक परीक्षा के अभाव में दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना संभव नहीं था। डेटा। 2.3.2020 दिनांकित आदेश का सक्रिय भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 20 .

विभाग द्वारा की गई जाँच के बाद

मामले में, दोनों विशेषज्ञों की रिपोर्ट, प्रासंगिक एस. आई. टी. जांच की सिफारिश/निष्कर्ष और

अभिलेखों की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि

प्रश्न में चयन प्रक्रिया शुरू से ही शून्य है

पैराग्राफ 14 में उद्धृत इबिद अभिषेक कुमार सिंह v.

जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उपरोक्त को देखते हुए, कार्यालय ज्ञापन संख्या 08/ए-2-1 /

2151-0201 / 17 दिनांक 03.01.2017, ज्ञापन सं। 09 / ए-2-1/2151-0201 /

17 दिनांकित 03.01.2017 और ज्ञापन संख्या 10/A-2-1/2/2151-0201/17 दिनांकित 03.01.2017 जारी होने की तारीख से रद्द कर दिया गया है।

अर्थात तिथि 03.01.2017 और विचाराधीन नियुक्तियों की घोषणा की जाती है।

उक्त तिथि से शून्य।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के रद्द होने के कारण

दिनांक 03.01.2017 पर जारी किए गए आदेश जो इस पर प्रसारित किए गए थे

04.12.2018 फिर से योगदान करना प्रभावी रूप से रद्द कर दिया जाता है।

इस प्रक्रिया के तहत नियुक्त सहायक अभियंता

अब तक प्राप्त वेतन भत्ते आदि का संरक्षण प्राप्त करें और

उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी। के निर्वहन में

विभागीय जिम्मेदारियाँ, प्रशासनिक और वित्तीय

उनके द्वारा अब तक किए गए कार्य वैध रहेंगे।

(जोर दिया गया)

5. इस आदेश पर रिट याचिकाकर्ता (ओं) द्वारा सीधे हमला किया गया है।

यह न्यायालय रिट याचिका (सिविल) सं. 491/2020 के माध्यम से। हमें सूचित किया जाता है कि एक ही आदेश पर समान रूप से शासित व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया है

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय और लखनऊ में इसकी पीठ के समक्ष रिट याचिकाओं के माध्यम से विवादित आदेश द्वारा। उनमें से कुछ ने इस न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर की है, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर अपनी रिट याचिका संख्या 13083/2020 (S/S) को स्थानांतरित करने और इस न्यायालय में लंबित अवमानना याचिकाओं के साथ सुनवाई करने के लिए जिसमें अतिव्यापी मुद्दे शामिल हैं। तदनुसार, इन याचिकाओं में हमलावर 4.12.2018 दिनांकित उपरोक्त आदेश के साथ-साथ उत्तरदाताओं द्वारा पारित 2.3.2020 दिनांकित आदेश के लिए है।

6. अवमानना याचिका (सी) सं। 625-626 / 2019 , 642-643 / 2019

और 671-672/20195, याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उत्तरदाताओं ने निरंतरता के साथ बहाली के बजाय उन्हें नए सिरे से नियुक्त किया है

मजदूरी के बकाया के साथ सेवा और इस प्रकार, उच्च न्यायालय के दिनांक 28.11.2017 के फैसले को पूरा प्रभाव देने के लिए निर्णय 15.11.2018 में इस न्यायालय के निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया है।

7. जबकि, अवमानना याचिका (सी) सं। 395-396 / 2020 , 408

409/2020 , 598-599 / 2020 , 669-670 / 2020 और 671-672/20206, शिकायत

5 सामूहिक रूप से, "बकाया राशि का भुगतान न करने के खिलाफ अवमानना याचिकाएं" 6 सामूहिक रूप से, "समाप्ति के खिलाफ अवमानना याचिकाएं" [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह है कि प्रतिवादियों के दिनांक 2.3.2020 के आदेश ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को रद्द कर दिया है, याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना, सिविल अपील संख्या 11017-11018/2018 में इस न्यायालय के दिनांक 15.11.2018 के फैसले का उल्लंघन करते हुए।

8. डब्ल्यू. पी. में (ग) नहीं. 491/2020, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी द्वारा पारित दिनांकित 2.3.2020 के आदेश को रद्द करने और याचिकाकर्ताओं को सेवा की निरंतरता और पूर्ण वेतन के साथ बहाल करें। जबकि, टी. पी. में (ग) सं. 1209/2020, याचिकाकर्ता वापस लेने और इस न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हैं, रिट याचिका (ग) सं. 13083/2020 (सेवा एकल), जो उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष लंबित है, क्योंकि दिनांकित 2.3.2020 (उसमें आक्षेपित) पहले से ही डब्ल्यू. पी. सहित अवमानना याचिकाओं के दूसरे सेट में विषय है। (ग) इस न्यायालय के समक्ष सं. 491/2020।

पुनर्निर्धारण के खिलाफ याचिकाएं

सेवा की निरंतरता और आदेश दिनांक 4.12.2018 के माध्यम से वापस आने वाले रास्तों के एरियर के बिना: 9. इन अवमानना याचिकाओं को दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि उत्तरदाताओं ने 11.8.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से,

भर्ती प्रक्रिया जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, जिससे याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त हो गईं। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और दिनांक 28.11.2017 के सामान्य निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त निर्णय में यह भी निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को काम करने की अनुमति दी जाए और उन्हें नियमित मासिक वेतन दिया जाए। इस निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: -

.....

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि 11.8.2017 का विवादित आदेश उल्लंघन में पारित किया गया है।

दागी और गैर-दागी उम्मीदवारों के मामले में अंतर करने के लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किया गया था, जबकि विवादित आदेश पारित किया गया था क्योंकि दिनांकित 11.8.2017 का विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है। और
अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी है।

तदनुसार, मुख्य अभियंता जल निगम द्वारा पारित दिनांक 11.8.2017 का विवादित आदेश (रिट याचिका का अनुलग्नक-9) यहाँ खारिज कर दिया गया है।

अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

रिट याचिकाएं सफल होती हैं और आगे के साथ अनुमति दी जाती है

याचिकाकर्ताओं को इस पद पर काम करने की अनुमति देने का निर्देश

सहायक अभियंता (सिविल); सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल) मैकेनिकल) और सहायक अभियंता (कंप्यूटर विज्ञान /

इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स)

उत्तरदाताओं को एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की स्वतंत्रता याचिकाकर्ताओं और अन्य को सुनवाई का अवसर प्रदान करना

ऊपर की गई टिप्पणियों के आधार पर प्रभावित पक्ष।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

(जोर दिया गया)

10. इससे पहले कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक और रिट याचिका

अब उच्च न्यायालय की पीठ, सेवा पीठ संख्या 19863 /

दिनांकित निर्णय के संदर्भ में 12.12.2017 पर भी निपटाया गया था

. 2017 , निम्नलिखित शब्दों में:

.....

तदनुसार, इस रिट याचिका को भी अनुमति दी गई है

इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.11.2017 पर पारित निर्णय और आदेश

रिट याचिकाओं के समूह में इलाहाबाद, प्रमुख रिट याचिका

2017 का लेख संख्या 37143, अजीत सिंह पटेल और अन्य बनाम।

अनुमति देने के लिए आगे के निर्देश के साथ यू. पी. राज्य और अन्य

सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर काम करने के लिए याचिकाकर्ता,

सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) और सहायक

इंजीनियर (कंप्यूटर विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स और

संचार/विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स) और उन्हें भुगतान करें नियमित वेतन के रूप में और जब एक के साथ उन्हें वही अर्जित होता है

उत्तरदाताओं को एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की स्वतंत्रता

याचिकाकर्ताओं और अन्य पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना

इलाहाबाद में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर

28.11.2017 (ऊपर) दिनांकित निर्णय और आदेश में।

99

(जोर दिया गया)

11. उत्तरदाताओं द्वारा निर्देशों पर कार्य करने में विफलता पर

दिनांक 28.11.2017 के फैसले में, याचिकाकर्ता (ओं) ने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना आईकेशन (सिविल) संख्या 6218/2017 दायर किया। इस बीच,

उत्तरदाताओं ने एसएलपी (सी) संख्या को प्राथमिकता दी। 5410-5419 / 2018 इससे पहले [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28.11.2017 दिनांकित निर्णय को स्वीकार करते हुए न्यायालय। उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी सुधारों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं पर फिर से काम करने की स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उक्त आदेश इस प्रकार है:

" आदेश

श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील

याचिकाकर्ता, इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को पता चला है कि त्रुटिपूर्ण प्रश्न और गलत उत्तर कुंजी थी,

उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ताओं को फिर से काम करने की अनुमति देनी चाहिए थी

योग्यता सूची। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय गलत हो गया है

इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में एक व्यक्तिगत नोटिस के लिए जोर देना।

इस संबंध में उन्होंने इस फैसले पर भी भरोसा किया है।

विकास प्रताप सिंह और अन्य बनाम में न्यायालय। छत्तीसगढ़ राज्य

और अन्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 494 में रिपोर्ट किए गए।

श्री मुकल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील

तथापि, प्रत्यर्थी इंगित करता है कि क्या प्रश्न

दोषपूर्ण थे या प्रमुख उत्तर गलत थे, विवादित हैं

प्रश्न पूछें और इसलिए उत्तरदाताओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जाँच में भाग लेना। वह आगे प्रस्तुत करता है कि निर्णय

विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा निर्दिष्ट इस न्यायालय के लिए

याचिकाकर्ता इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकते हैं।

जो भी हो सकता है, विवादित से गुजरने के बाद

निर्णय, हम नहीं पाते कि दरवाजा अभी तक बंद है। यह है।

याचिकाकर्ताओं के लिए, यदि उन्हें इस तरह की सलाह दी जाती है, तो उनसे संपर्क करें

उत्तर पुस्तिकाओं पर फिर से काम करने की स्वतंत्रता के लिए स्वयं उच्च न्यायालय

सुधारों के आधार पर, यदि उच्च न्यायालय है

यह भी विचार कि सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

विशेष अनुमति याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

(जोर दिया गया)

12. कथित विशेष अनुमति याचिकाओं के निपटारे पर, उत्तरदाताओं ने

अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 6218/2017 में उच्च न्यायालय को एक वचन दिया कि 28.11.2017 दिनांकित निर्णय का 15.5.2018 पर या उससे पहले पालन किया जाएगा। इस बीच, प्रत्यर्थियों ने रिट-ए नंबर-ए नंबर-ए नंबर

जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

दिनांकित 28.11.2017 और दोहराया कि यह खुला था एक नया आदेश पारित करने के लिए। यह दिनांकित 25.7.2018 आदेश पढ़ता है

" प्रबंध निदेशक, यू. पी. जल निगम, लखनऊ और मुख्य अभियंता, यू. पी. जल निगम, लखनऊ दोनों ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया है जिसके द्वारा इन रिट याचिकाओं के एक समूह पर अंततः निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश के विद्वान महाधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदकों को एक नया आदेश पारित करने में दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिसके लिए स्वतंत्रता दी गई है।

रिट याचिकाओं में आक्षेपित आदेश 11.08.2017 का था जो मुख्य अभियंता, जल निगम द्वारा पारित किया गया था जो पूरे आदेश को रद्द कर देता है।

चयन करें।

याचिका को स्वीकार करते हुए, हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि रिट याचिका में आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है और दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करने के लिए कोई अभ्यास किए बिना समग्र रूप से चयन रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। अंत में अदालत ने रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं और अन्य प्रभावित पक्षों को फैसले में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आवेदकों को एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की अनुमति दी थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह नहीं मानते कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अदालत से किसी भी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जिस निर्णय और आदेश की समीक्षा की जानी है, उसमें हमें कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं मिलती है।

समीक्षा आवेदन का निपटारा कर दिया गया है "।

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. चूंकि अवमानना आवेदन (सिविल) में दायर किया गया वचन पत्र

नं. समीक्षा याचिका के निपटारे के बाद भी 6218/2017 का पालन नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने दिनांक 6.8.2018 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अनुपालन हलफनामा दायर करने में विफलता पर, अवमानना के आरोप तैयार करने के लिए प्रतिवादियों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। इसी तरह, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक अन्य अवमानना याचिका में (दिनांक 12.12.2017 के फैसले के गैर-अनुपालन के खिलाफ), इसी तरह का आदेश 7.8.2018 पर पारित किया गया था।

14. प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समक्ष अपील में मामले को उठाया

सिविल अपील सं। 11017-11018 / 2018 , निर्णय और आदेश दिनांक 28.11.2017 को रिट-ए नंबर 37143/2017 में पारित किया गया और समीक्षा आवेदन संख्या 2/2018 में भी 25.7.2018 दिनांकित किया गया। उक्त अपील, दिनांक 20.8.2018 में इस न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश का विज्ञापन करना उपयोगी हो सकता है, जिसका विचाराधीन आधारों पर कुछ असर हो सकता है। वही इस प्रकार पढ़ता है: -

" याचिकाकर्ताओं को दी गई एकमात्र स्वतंत्रता और

विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सही ढंग से समझा गया

राज्य की ओर से पेश होना दागी को अलग करना था

दिनांकित 16.03.2018 आदेश के अनुसार बेदाग।

हम याचिकाकर्ताओं को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हैं।

आज से एक महीने के भीतर, क्या कदम उठाए गए हैं

उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 28.11.2017 निर्णय के अनुसार

विशेष न्यायालय में इस न्यायालय द्वारा न्यायालय और दिनांकित 16.03.2018 आदेश

याचिका छोड़ें।

20.09.2018 पर सूची बनाएँ।

याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं

समय का विस्तार "।

(जोर दिया गया)

जो भी हो, उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया गया है -

उपरोक्त की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.11.2018 आदेश के माध्यम से की गई है, जो देता है

प्रतिवादी (ओं) को एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की स्वतंत्रता। इस न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

" 14. इस न्यायालय के समक्ष ली गई सीमित याचिका जैसा कि उल्लेख किया गया है

16 मार्च, 2018 के आदेश का पहला अनुच्छेद था -

अपीलार्थियों को प्रश्न और उत्तर पर फिर से काम करने की अनुमति दें।

अभिषेक कुमार सिंह बनाम ने तर्क दिया कि योग्यता सूची को संशोधित करें और नया जारी करें।

जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रभावित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आदेश उम्मीदवार। यह विकल्प खुला रखा गया है। यह इसके लिए है

अपीलार्थी उसी को आगे बढ़ाएँ। दूसरे शब्दों में,

अपीलार्थियों को, सबसे पहले, के निर्णय पर कार्य करना चाहिए

उच्च न्यायालय दिनांक 28 नवंबर, 2017 जिसके तहत

मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2017 को पारित आदेश रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है। तब अपीलार्थी कर सकते हैं

एक पारित करके कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ें ताजा, तर्कपूर्ण आदेश। वास्तव में, ऐसा करते हुए,

अपीलार्थी पूर्व जांच को ध्यान में रख सकते हैं।

रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री/दस्तावेज जो

उनके लिए उपलब्ध हो गए हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि हम

द्वारा दी गई राय की प्रभावकारिता पर विस्तार नहीं किया है आई. आई. आई. टी. इलाहाबाद और आई. आई. टी. कानपुर के विशेषज्ञ।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय को चुनौती

दिनांक 28 नवंबर, 2017 और 25 जुलाई, 2017 को असफल होना चाहिए लेकिन

एक स्पष्टीकरण कि निगम का सक्षम प्राधिकारी स्वतंत्र है

कानून के अनुसार एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करना।

16. यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने कोई राय व्यक्त की है

किसी भी तरह से कार्रवाई के पाठ्यक्रम के गुणों पर खुला है

प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपीलकर्ता, दूसरे के खिलाफ भी

समान चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां। उस में सभी प्रश्न

पक्ष को खुला छोड़ दिया जाता है। "

(जोर दिया गया)

15. इस न्यायालय के दिनांक 15.11.2018 के फैसले के बाद, उच्च न्यायालय ने

अदालत ने अवमानना आवेदन (सिविल) सं. 6218/2017 में, 26.11.2018 पर आदेश के माध्यम से, उत्तरदाताओं को पहली बार में 28.11.2017 पर दिए गए फैसले का पालन करने का निर्देश दिया। सम तिथि का आदेश दिया गया था

उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा अवमानना सं. 1428/2018

समान रेखाएँ।

16. दिनांकित निर्णय में इस न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में

5.11.2018 और उच्च न्यायालय के दिनांकित दो आदेशों में 26.11.2018,

ई उत्तरदाताओं ने दिनांकित 4.12.2018 (पुनः प्रस्तुत) आक्षेपित आदेश पारित किया

ऊपर पैराग्राफ नंबर 2), याचिकाकर्ताओं को सेवा और बकाया की अनिवार्यता के बिना फिर से शामिल करना। उत्तरदाताओं ने भी हलफनामा दायर किया

उच्च न्यायालय के समक्ष अनुपालन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. अवमानना आवेदन संख्या 6218/2017 में, याचिकाकर्ता ने 10.12.2018 पर अनुपालन के उक्त हलफनामे पर इस आधार पर आपत्तियां दायर कीं कि बकाया भुगतान को रोकना सीधे 28.11.2017 के फैसले के अनुरूप है, जैसा कि इस अदालत द्वारा दिनांकित फैसले के माध्यम से पुष्टि की गई है।

15.11.2018 और इस प्रकार, यह न्यायालय के आदेश की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के बराबर है।

18. इसी तरह, अवमानना सं. 1428/2018 में, आपत्तियों को पहले दिनांक 17.12.2018 के क्रम में नोट किया गया था और फिर,

21.1.2019 पर आपत्तियाँ दर्ज की गईं। उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.1.2019 के आदेश में कहा कि बहाली के बाद भुगतान किया जाना चाहिए।

और उत्तरदाताओं को तीन महीने के भीतर पूर्ण वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के प्रासंगिक भाग को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:

सुप्रीम कोर्ट ने दीपाली गुंडू के मामले में टिप्पणी की है

इस बात पर जोर दें कि बहाली का आम तौर पर पालन किया जाना चाहिए

पूर्ण वेतन का भुगतान।

यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा समाप्ति आदेश को दरकिनार नहीं किया गया है। यह भी उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता लाभकारी रूप से कर्मचारी रहे हैं उस अवधि के दौरान जब वे सेवा से बाहर रहे

समाप्ति आदेश जिसे अंततः अलग कर दिया गया है। इसलिए, प्रतिवादियों को इस न्यायालय द्वारा समाप्ति आदेश को रद्द करने के बाद याचिकाकर्ता को देय वेतन का बकाया देने का निर्देश दिया जाता है।

आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं का पिछला वेतन

रिट अधिकार क्षेत्र में इस न्यायालय द्वारा पारित याचिका का भुगतान याचिकाकर्ता को किया जाएगा।

तीन महीने की अवधि के भीतर।

इस मामले को तीन महीने के बाद 29.4.2019 पर सूचीबद्ध करें, जिस तारीख तक यदि वेतन के सभी बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यू. पी. जल निगम के प्रबंध निदेशक इस न्यायालय की सहायता के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

19. इसके बाद, दिनांक 1.4.2019 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि प्रतिवादी प्रथम दृष्टया जानबूझकर और जानबूझकर दोषी हैं

अवज्ञा की और आरोप तय करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख को अदालत के समक्ष उनकी उपस्थिति का निर्देश दिया। उत्तरदाताओं ने एसएलपी (सी) संख्या 10774/2019 के माध्यम से उक्त आदेश पर हमला किया। यह न्यायालय, दिनांकित आदेश के माध्यम से

7.5.2019 , यह मत व्यक्त किया कि सिविल अपील सं. 11017 1 7 में निर्णय के बाद दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम। क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी. एड.) & ओआरएस।

(2013) 10 एस. सी. सी. 324 अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

11018/2018 , अवमानना याचिकाओं को उच्च न्यायालय के समक्ष जारी नहीं रखा जा सकता है और माना जा सकता है कि उन्हें इस न्यायालय से वापस ले लिया गया है। स्वतंत्रता

20. प्रत्यर्थियों ने एसएलपी (सी) डायरी संख्या 15756/2019 के माध्यम से उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.1.2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांकित 10.5.2019 के आदेश द्वारा अवमानना याचिका को वापस लेने के लिए एसएलपी (सी) संख्या 10774/2019 में पारित आदेश का पालन किया था। 21. इन परिस्थितियों में, वर्तमान अवमानना याचिकाएं दिनांकित 4.12.2018 के आदेश के संदर्भ में बिना किसी संबंध के पुनर्निवेश के संबंध में हैं।

सेवा की निरंतरता और पिछले वेतन के बकाया, हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं। 22. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के तर्क का जोर यह है कि इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए दिनांकित समाप्ति आदेश को दरकिनार करने में उच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव यह है कि समाप्ति आदेश पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इस प्रकार, एक जारी करना आवश्यक था

कोई अन्य व्याख्या। तब यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ताओं को समाप्ति और बहाली की तारीखों के बीच कहीं और लाभकारी रूप से नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए वे मजदूरी वापस करने के हकदार थे। समर्थन में, दीपाली गुंडू सुरवास में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि वापस मजदूरी से इनकार

उत्तरदाताओं को उनके गलत कामों के लिए प्रीमियम देने के बराबर होगा। यह भी बताया गया कि 'दीपाली गुंडू सुरवासे' में, जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। के. पी. अग्रवाल और Anr.[1]0, जो उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया है, एक अच्छा कानून नहीं माना गया था।

23. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों का कहना होगा कि न तो उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 28.11.2017 के फैसले में और न ही इस न्यायालय ने अपने निर्णय में

15.11.2018 दिनांकित निर्णय में बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया था। रिलायंस को तब जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड और यू. पी. स्टेट ब्रासवेयर कॉर्प में इस अदालत के फैसलों पर रखा गया था। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. उदय नारायण

पांडे 1 2, यह प्रस्तुत करने के लिए कि बकाया का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है

8 फुटनोट नं. 7 पर ऊपर दिया गया है

9 फुटनोट नं. 7 पर ऊपर दिया गया है

1 0 10 (2007) 2 एससीसी 433 11 फुटनोट संख्या 10 पर ऊपर दिया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें याचिकाकर्ता बकाया राशि के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अब बकाया का दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक नई राहत का दावा करने के बराबर होगा और शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए अवमानना कार्यवाही के दायरे से बाहर है। वी. वेद प्रकाश जोशी और Ors.[1]3 यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ता उन्होंने बिना किसी आपत्ति के पुनः नियुक्ति की शर्तों को स्वीकार कर लिया था और इसलिए उनके लिए मजदूरी वापस लेने का दावा करने का अधिकार नहीं था।

खिलाफ याचिकाएं

फ्रीश

समाप्ति आदेश दिनांक 2.3.2020:

24. 2.3.2020 दिनांकित नया समाप्ति आदेश पारित किया गया

इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार, जिससे वर्तमान याचिकाएं दायर की गईं। पृष्ठभूमि तथ्य यह है कि प्रतिवादी निगम और मेसर्स के कुछ अधिकारियों द्वारा कई खामियां थीं। सहायक अभियंता (113-सिविल, 5-इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के 122 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया के संबंध में एप्टेक प्राइवेट लिमिटेड (परीक्षण एजेंसी)

और 4-इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार /

कंप्यूटर विज्ञान)। कि प्रत्यर्थी निगम और परीक्षण एजेंसी के बीच समझौते के अनुसार, परीक्षण एजेंसी को तीन दिनों के लिए उत्तर कुंजी प्रदर्शित करने और प्राप्त आपत्तियों पर उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, परीक्षण एजेंसी को कम से कम एक वर्ष के लिए परीक्षा से संबंधित डेटा को बनाए रखना भी आवश्यक था। परीक्षण एजेंसी ने उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया और उत्तर कुंजी अपलोड की गई या नहीं, इसकी पुष्टि किए बिना साक्षात्कार आयोजित किए गए। 34, 158 उम्मीदवारों के साक्षात्कार 30.12.2016 और 31.12.2016 पर जल्दबाजी में आयोजित किए गए थे और अंतिम परिणाम 3.1.2017 पर जारी किया गया था, और नियुक्तियां उसी दिन यानी 3.1.2017 पर की गई थीं। चूंकि उत्तर कुंजी को अपलोड न करने से उम्मीदवार वंचित हो गए थे

आपत्तियाँ दायर करने के अवसर पर, असफल उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और कई अवैधताओं और अनियमितताओं से भरी हुई थी। उच्च न्यायालय, लिखित याचिका सं। ए/15948/2017 और 9794/एस. बी./2017 (असफल या गैर-चयनित उम्मीदवारों द्वारा वरीयता प्राप्त), ने प्रतिवादी को निर्देश दिया

निगम उक्त शिकायत की जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उचित कार्रवाई की जाए। तदनुसार, अधिकारियों द्वारा दो अलग-अलग जांच की गईं जिनमें कई अनियमितताएं पाई गईं। इन पूछताछों के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया गया था।

13 (2005) 6 एस. सी. सी. 98 अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

और उस प्रभाव का एक आदेश 11.8.2017 पर पारित किया गया था। उक्त आदेश को बाद में उच्च न्यायालय के 28.11.2017 दिनांकित निर्णय के माध्यम से दरकिनार कर दिया गया। 25. इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार (गृह विभाग) को संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी

कई पदों पर भर्ती (वर्तमान भर्ती प्रक्रिया सहित)। सरकार ने इसे जांच के लिए एस. आई. टी. को भेज दिया। एस. आई. टी. ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि परीक्षण एजेंसी ने मुख्य सर्वर से वर्तमान भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पूरे डेटा को हटा दिया था, जो इसे एक साल के लिए संग्रहीत करने की शर्त का उल्लंघन था। उक्त तथ्य को परीक्षण एजेंसी द्वारा भी स्वीकार किया गया था। इसलिए, मूल आंकड़ों के अभाव में, आई. आई. टी. कानपुर और आई. आई. आई. टी. इलाहाबाद के निदेशकों से दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करने के लिए सहायता मांगी गई थी। दो विशेषज्ञ रिपोर्टों में निष्कर्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, यह था कि परीक्षण के समापन के बाद एक लंबे अंतराल के बाद प्रतिक्रिया पत्रक अपलोड किया गया था जो प्रतिक्रिया पत्रक में हेरफेर का संदेह पैदा करता है। इसके अलावा, परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों में टाइमस्टैम्प और माउस क्लिक शामिल नहीं थे।

26. इस बीच, यह न्यायालय सिविल अपील सं. 11017-11018/2018 (दिनांक 27.11.2017 के निर्णय और दिनांकित समीक्षा में निर्णय के विरुद्ध) में 25.7.2018) , इसने देखा था कि दिनांकित 11.8.2017 आदेश पारित करते समय विशेषज्ञ रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और पिछली जांच रिपोर्टों और उत्तरदाताओं को उपलब्ध होने वाले अन्य आंकड़ों पर विचार करके एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी थी।

27. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अलग-अलग कार्यवाही में

डब्ल्यू. पी. नं. 12222/2017 (अन्य पदों के लिए भर्ती के खिलाफ), अदालत ने दिनांक 21.5.2019 पर एक आदेश पारित किया कि यह प्रतिवादी निगम पर था कि वह पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय करे यदि अलगाव नहीं कर सकता है। लिया जाए। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या 625/2019 और 626/2019 (अदालत के भीतर की अपील) में दिनांकित 31.7.2019 के आदेश द्वारा बरकरार रखा गया था। इसके अलावा, एस. आई. टी. ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 22.1.2020 सरकार को भेजी, जिसे प्रतिवादी निगम को 18.2.2020 पर उपलब्ध कराया गया था। उक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि परीक्षण एजेंसी ने [2021] 5 एस. सी. आर. को आगे बढ़ाने के लिए क्लाउड सर्वर से प्राथमिक डेटा को हटा दिया था।

आपराधिक षडचंत्र और परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने पर विचार करने की सिफारिश की गई (सहायक अभियंता के पद सहित)। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त निष्कर्षों पर दिनांकित 2.3.2020 आदेश पारित किया गया था। इससे आहत होकर वर्तमान अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं।

28. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने भी माना था कि समाप्ति आदेश दिनांक 11.8.2017, समाप्त हो रहा है।

याचिकाकर्ताओं (और अन्य नियुक्तियों) की सेवाएं सामूहिक रूप से थीं

अमान्य क्योंकि इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी निगम ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना फिर से 2.3.2020 का आदेश पारित किया था। ऐसा करके, प्रत्यर्थी निगम ने प्रभावी रूप से पुनर्स्थापित किया है

प्रदत्त स्वतंत्रता की आड़ में दिनांकित समाप्ति आदेश 11.8.2017 इस न्यायालय द्वारा। उसी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

29. यह आग्रह किया गया था कि इस न्यायालय के दिनांकित 15.11.2018 के निर्णय में प्रतिवादी निगम को पारित करने के लिए एक स्पष्ट निर्देश था

सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक नया तर्कपूर्ण आदेश

प्रभावित पक्ष। हालाँकि, विवादित आदेश का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। समर्थन में, हरियाणा वित्तीय निगम और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई है। वी. जगदम्बा तेल

मिल्स और Anr.[1] ने तर्क दिया कि निर्णयों को क़ानूनों की तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तब यह आग्रह किया गया कि 'कानून के अनुसार' एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को दरकिनार किया जाए।

30. यह तर्क दिया गया था कि उत्तरदाताओं द्वारा रखी गई निर्भरता

डब्ल्यू. पी. सं. 12222/2017 और विशेष अपील (दोषपूर्ण) सं. 625/2019 और 626/2019 में उच्च न्यायालय के निर्णयों पर गलत और असमर्थनीय है क्योंकि यह केवल इस न्यायालय के आदेशों को दूर करने के लिए किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि कार्यपालिका न्यायिक आदेशों पर अपील या पुनरीक्षण में नहीं बैठ सकती है। रिलायंस को भारत संघ और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसले

पर रखा गया है। वी. के. एम. शंकरप्पा 1 5 और भारत संघ बनाम अशोक कुमार अग्रवाल ", यह तर्क देने के लिए कि एक नवीनीकरण का प्रयास

जिस आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया था, वह कानूनी द्वेष के बराबर होगा।

15 1 5 (2001) 1 एस. सी. सी 582

16 (2013) 16 एस. सी. सी. 147 अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

31. इसके विपरीत, उत्तरदाता यह प्रस्तुत करेंगे कि दिनांकित 15.11.2018 के निर्णय ने उत्तरदाताओं को उच्च न्यायालय पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

सहायक अभियंता के पद पर काम करने की अनुमति। प्रत्यर्थियों ने दिनांक 4.12.2018 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करके इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का विधिवत पालन किया। तब यह आग्रह किया गया था कि इस न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को मामले में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी थी। कानून के अनुसार मामला। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को अवसर देने के लिए किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में दिनांक 1 के आदेश के संबंध में अवमानना कार्रवाई नहीं की जा सकती है, इसके बावजूद कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष और राय दर्ज की गई है कि दागी और बेदाग लोगों को अलग करना संभव नहीं था। प्रत्यर्थियों का तर्क है कि ऐसे मामले में पूरी चयन प्रक्रिया दूषित हो गई थी और याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस/अवसर देने की आवश्यकता नहीं थी। रिलायंस को भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया है। वी. 0 .

चक्रधर 1 7, वीरेंद्र कुमार गौतम और अन्य। वी. करुणा निधान उपाध्याय और Ors.¹, एम. पी. स्टेट कॉप। बैंक लिमिटेड, भोपाल बनाम नानूराम यादव और अन्य "। , निधि कैम बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और Ors.² 20 कुन्हयमद और अन्य। वी. केरल राज्य & Anr.2¹ 21 और खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड v. श्री महादेश्वर सहकार सकारे

कारखाने लिमिटेड, कोल्लेगल 2 ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं ने दिनांकित 15.11.2018 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया है। कानून में, उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.11.2017 के फैसले को इस न्यायालय के दिनांकित 15.11.2018 के फैसले में मिला दिया गया था। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि अवमानना कार्यवाही में कोई अतिरिक्त निर्देश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह प्रयोग करने के बराबर होगा।

समीक्षा क्षेत्राधिकार। इस याचिका के समर्थन में, बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहकारी समिति के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है

सोसायटी लिमिटेड बनाम। गौतम गोस्वामी और सुधीर वासुदेव, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और अन्य। वी. एम. जॉर्ज रविशेखरन और Ors.24। तब यह आग्रह किया गया था कि नागरिक अवमानना के लिए जानबूझकर अवज्ञा की आवश्यकता होगी। 2.3.2020 दिनांकित आदेश का पारित होना, यह मानते हुए कि यह अवज्ञा का मामला है, वही

(2002) 3 एस. सी. सी. 146

18 (2016) 14 एससीसी 18 19 9 (2007) 8 एस. सी. सी. 264

20 (2016) 7 एस. सी. सी. 615 21 (2000) 6 एस. सी. सी. 359

22 (2019) 4 एससीसी 376

23 (2008) 5 एस. सी. सी. 339 24 (2014) 3 एससीसी 373 [2021] 5 एस. सी. आर.

बिहार का & Ors.27। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि आदेशों के कार्यान्वयन पर इसकी व्यवहार्यता के आधार पर जोर दिया जा सकता है। लेकिन, इस मामले की वास्तविक स्थिति में, याचिकाकर्ताओं को नोटिस देना व्यावहारिक नहीं था। रिलायंस को मोहम्मद में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। इकबाल खांडे बनाम। अब्दुल माजिद राथर 28.

आरई: डब्ल्यू. पी. (C) नहीं। 491/2020

32. डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं. 491/2020 दिनांकित 2.3.2020 समाप्ति आदेश को रद्द करने और अलग करने और उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए दायर किया गया है

याचिकाकर्ताओं को पूर्ण वेतन और सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करें। उपरोक्त याचिका में पक्षकारों के रूप में शामिल करने के लिए कई आवेदन दायर किए गए थे। सफल उम्मीदवारों द्वारा आई. ए. सं. 116777/2020, आई. ए. सं. 106077/2020 और आई. ए. सं. 93552/2020 दाखिल किए गए हैं। जबकि, आई. ए. सं. 50899/2020 उन उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किया जाता है जिन्हें प्रारंभिक योग्यता सूची में असफल या गैर-चयनित घोषित किया गया था, लेकिन जिनके अंक को उत्तर कुंजी पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद संशोधित किया गया था, ताकि योग्यता सूची दर्ज की जा सके। उपरोक्त असफल उम्मीदवारों द्वारा संशोधित योग्यता सूची के अनुसार नियुक्त होने और जनवरी, 2017 से बकाया भुगतान करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जब उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए था। असफल या गैर-चयनित उम्मीदवारों के आवेदनों पर थोड़ी देर बाद विचार किया जाएगा।

33. उपरोक्त रिट याचिका दायर करने का आधार यह है कि

दिनांकित 2.3.2020 समाप्ति आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (g) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कि, प्रतिवादी निगम ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से नए मामले जोड़कर हर स्तर पर अपने मामले में सुधार करने की कोशिश की थी।

आधार। उदाहरण के लिए, 29.5.2017 की पहली जांच रिपोर्ट में, मुख्य अभियंता ने कहा कि कुछ पदों के लिए मंजूरी प्रत्यर्थी निगम के निदेशक मंडल द्वारा दी गई थी, जो नहीं थी

25 (2014) 16 एससीसी 204 26 (2010) 12 एससीसी 770

(1999) 7 एस. सी. सी. 569

(1994) 4 एस. सी. सी. 34 अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

13.12.2016 पर जारी विज्ञापन और 3.1.2017 पर जारी नियुक्ति आदेशों की तारीख से एक महीने से भी कम समय के भीतर जल्दबाजी में किया गया था, संभवतः क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली थी। इसके बाद, दिनांक 7.7.2017 की दूसरी जांच रिपोर्ट में, मुख्य अभियंता ने कहा कि प्रत्यर्थी निगम सरकार द्वारा प्रत्यर्थी निगम को दिए गए Rs.300 करोड़ के ऋण को देखते हुए सरकार के वित्त विभाग की अनुमति के बिना भर्ती नहीं कर सकता था। इसके अलावा, परीक्षा के परिणाम बिना आपत्तियों को आमंत्रित किए प्रकाशित किए गए, उत्तर कुंजी में कुछ उत्तर और प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न गलत थे और 4 सफल उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं समान थीं।

34. फिर, दिनांक 11.8.2017 के समाप्ति आदेश में, यह जोड़ा गया कि भारत के चुनाव आयोग की अनुमति होनी चाहिए थी शामिल होने से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने के रूप में लिया गया था

तिथि. उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि प्रतिवादी निगम धन की कमी का सामना कर रहा है और इतना भुगतान करने की स्थिति में नहीं है

अतिरिक्त कर्मचारी और वह प्रावधान कानून के अनुसार पदों के आरक्षण के लिए नहीं किया गया था। इसके बाद, समीक्षा आवेदन में, यह आधार लिया गया कि पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, कुछ चयनित उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए पात्र भी नहीं होंगे।

35. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करेंगे कि रिट याचिका है

संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (छ) और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए बनाए रखा जा सकता है। रोमेश थापर बनाम मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है। मद्रास राज्य 2 9. यह आग्रह किया गया कि प्रत्येक चरण में नए आधार जोड़ने में प्रत्यर्थियों की कार्रवाई से पता चलता है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' होने के बावजूद, प्रत्यर्थी निगम आदेश के तहत एक हताश निजी वादी की तरह मामले पर मुकदमा चला रहा है।

36. याचिकाकर्ता तब आग्रह करेंगे कि प्रत्यर्थियों द्वारा विवादित आदेश पारित किया गया था, जबकि विशेषज्ञों की राय पर भरोसा करते हुए कि इस बात की संभावना थी कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर प्रतिक्रिया 'छेड़छाड़ की गई होगी', जो कि केवल एक अटकल है, इसके समर्थन में कोई डेटा नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जिस डेटा पर उत्तरदाताओं ने दिनांकित 2.3.2020 आदेश पारित करने के लिए भरोसा किया था, वह इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.11.2018 निर्णय पारित करने के समय भी उपलब्ध था; और एक नए पैकेज में फिर से पैक किए जाने की प्रकृति में है और वही

मनोहर लाल (मृत) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार एल. आर. द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती है। वी. एलआर द्वारा उग्रसेन (मृत)। & Ors.30।

37. यह आग्रह किया गया था कि उत्तरदाताओं ने जानबूझकर परीक्षण एजेंसी से चेकसम डेटा के लिए तब तक नहीं पूछा जब तक कि भंडारण की एक वर्ष की अवधि नहीं हो गई थी। समय समाप्त हो गया। इसके बाद यह बताया गया कि परीक्षण एजेंसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामे में (डब्ल्यू. पी. (एस/एस) सं. 7647/2020-एक अन्य परीक्षा से संबंधित), ने वर्तमान चयन प्रक्रिया से संबंधित कुछ तथ्य बताए थे। विशेष रूप से, कि प्राथमिक डेटा को हटाया नहीं गया था, बल्कि केवल

और यह कि प्रत्यर्थी निगम ने इसे प्राप्त करने के लिए उनसे कभी संपर्क नहीं किया था। इसलिए, दोनों विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय अनुमानों पर आधारित थी और अनुमान लगाती है कि प्राथमिक डेटा उपलब्ध नहीं है। 38. यह प्रस्तुत किया गया था कि एस. आई. टी. रिपोर्ट दिनांक 22.1.2020 और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सी. एफ. एस. एल.) की रिपोर्ट दिनांक 28.8.2019,

19.11.2019 , 11.12.2019 और (एस. आई. टी. द्वारा अपनी रिपोर्ट में विचार किया गया) प्रत्यर्थियों द्वारा विवादित आदेश पारित करने में भरोसा किया गया था, भारत संघ और अन्य के कथन के आलोक में, उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ताओं को दिया जाना चाहिए था। वी. एस. के. कपूर 3 1 इसके अलावा, एस. आई. टी. रिपोर्ट एक जांच एजेंसी द्वारा अंतिम रिपोर्ट की प्रकृति में है और इसे निर्णायक सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कदाचार। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को परीक्षण एजेंसी द्वारा किसी भी खराबी की कीमत पर पीड़ित नहीं किया जा सकता है। 39. यह आग्रह किया गया कि प्रत्यर्थियों द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे कभी भी तथ्य खोजने वाले प्राधिकरण या न्यायाधिकरण द्वारा साबित या जांच के अधीन नहीं किए गए हैं, और न ही याचिकाकर्ताओं को उसमें किए गए दावों को पूरा करने का अवसर दिया गया है। यह कि परीक्षण एजेंसी ने 7.11.2017 दिनांकित पत्र द्वारा एस. आई. टी. को सूचित किया था कि प्राथमिक डेटा डेटा भंडारण सुविधा में संग्रहीत किया गया था न कि हार्ड ड्राइव में, जिसके बावजूद, एस. आई. टी. ने 10.9.2018 पर उसके कार्यालय पर छापा मारा और 'डंप डेटा' के यादृच्छिक हार्ड ड्राइव को जब्त कर लिया और उसे सी. एफ. एस. एल. को भेज दिया। इसलिए, सी. एफ. एस. एल. के विश्लेषण का आधार ही त्रुटिपूर्ण है।

40. इसके अलावा, एस. आई. टी. की रिपोर्ट में निष्कर्ष के बावजूद कि परीक्षण एजेंसी

प्राथमिक डेटा को हटाने के लिए आपराधिक साजिश का एक हिस्सा था, उत्तरदाताओं ने परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षण एजेंसी को संलग्न करना जारी रखा। प्रत्यर्थी निगम ने दिनांकित एक पत्र प्राप्त किया

30 (2010) 11 एस. सी. सी. 557

31 (2011) 4 एस. सी. सी. 589 अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

31.8.2020 एडिशनल से। यू. पी. सरकार के मुख्य सचिव ने डी. जी. पी., एस. आई. टी. से सिफारिश की कि अनियमितताओं के बारे में उसके संज्ञान में आने के लगभग तीन साल बाद परीक्षण एजेंसी को काली सूची में डाला जाए, जो स्पष्ट रूप से दुर्भावना को दर्शाता है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि इस तर्क में कोई सार नहीं है कि चयन प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई थी

विज्ञापन के पूर्ण अनुपालन के रूप में पूरा किया गया

और प्रतिवादी निगम के लागू एस. ओ. पी. और नियम। इसके अलावा, उक्त तर्क को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2017 के फैसले में खारिज कर दिया गया था।

41. तब यह आग्रह किया गया कि उत्तरदाताओं को केवल एक ही स्वतंत्रता दी गई है कि वे सुधार के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं पर फिर से काम करें।

उम्मीदवारों को सुनवाई का अवसर। इसके अलावा, प्रतिवादी निगम उस बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा था जो प्रतिक्रिया पत्रों पर था।

हेरफेर किया और परीक्षा प्रक्रिया की सत्यता को सत्यापित करने में असमर्थता का तर्क दिया, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

42. यह निवेदन कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था, उपरोक्त अवमानना याचिकाओं में की गई दलीलों के समान था। यह. प्रस्तुत किया गया था कि ऑडी अल्टर पार्टेम के सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं हो सकता है। रिलायंस को निशा में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

अनुराधा वैश्य और Ors.[3]3 33 यह प्रस्तुत करने के लिए कि जब समाप्ति आदेश को पारित करने से पहले प्रभावित पक्षों को नहीं सुनने के लिए अलग कर दिया गया था और एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई थी, तो नियोक्ता-राज्य प्रभावित व्यक्तियों को सुने बिना एक और नया समाप्ति आदेश पारित नहीं कर सकता है। एक बार फिर।

43. दूसरी ओर, प्रतिवादी रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाएंगे क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वैकल्पिक उपाय समाप्त नहीं हुआ था, जबकि पी. एन. कुमार और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए। वी. दिल्ली नगर निगम 3 4, कनुभाई ब्रह्मभट्ट बनाम। गुजरात राज्य 3, कुंगा निमा लेप्चा और अन्य। वी. सिक्किम राज्य और अन्य। 36

सभी नागालैंड राज्य सेवा कर्मचारी संघ का परिसंघ। &

32 (2014) 16 एस. सी. सी. 392 33 (2017) 5 एससीसी 660

34 (1987) 4 एस. सी. सी. 609

35 1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 310

36 (2010) 4 एससीसी 513 [2021] 5 एस. सी. आर.

ओआरएस। वी. नागालैंड राज्य 3 7 और अमृत लाल बेरी बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, नई दिल्ली और Ors.³8। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रखे गए पक्षों ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जो डब्ल्यू. पी. (ग) नहीं. 13083/2020 (सेवा एकल) और यहां तक कि याचिकाकर्ताओं को भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। 44. परीक्षण एजेंसी द्वारा दायर हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं की निर्भरता के संदर्भ में, उत्तरदाता प्रस्तुत करेंगे कि जिम्मेदारी थी

जाँच एजेंसी जाँच के लिए एस. आई. टी. को सही और पूर्ण आँकड़ा देगी। यह बताया गया कि एस. आई. टी. ने परीक्षण एजेंसी के तकनीकी और वितरण प्रमुख श्री विश्वजीत सिंह का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षा डेटा में रखा गया था।

केवल एक महीने के लिए बादल, जिसके बाद इसे 'स्थानीय वातावरण'-हार्ड डिस्क पर डाउनलोड किया गया। इसके अलावा, परीक्षण एजेंसी ने खुद

भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 3 9 की धारा 65-बी के तहत एस. आई. टी. को दिए गए प्रमाण पत्र में स्वीकार किया गया है कि मूल प्राथमिक डेटा को हटा दिया गया था और बैकअप डेटा में कोई सिस्टम लॉग नहीं है। और यह कि, प्राथमिक सर्वर डेटा को हटाने से सीडी के रूप में प्रदान किए गए द्वितीयक डेटा का उपयोग करके प्रतिक्रिया पत्रक का पुनः विश्लेषण करना असंभव हो गया।

क्योंकि वही सही नहीं है। तब यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी निगम ने भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं में शामिल अपने अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है।

45. यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाताओं ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को सही ढंग से रद्द कर दिया था और सभी की सेवाओं को समाप्त कर दिया था

कानून के अनुसार भर्तियां क्योंकि अवैधता ऐसी प्रकृति की थी कि दागी उम्मीदवारों को बेदाग से अलग नहीं किया जा सकता था और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की सत्यता संदिग्ध थी। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि यदि दागी और बेदाग उम्मीदवार हो सकते हैं अलग किए जाने पर, संबंधित उम्मीदवार को कारण बताने का नोटिस जारी किया गया होगा। हालाँकि, चूंकि अलगाव संभव नहीं था और नहीं हुआ था, इसलिए ओ. चक्रधर को देखते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा। इस प्रकार, कोई व्यक्तिगत कारण बताएँ नोटिस नहीं

कानून में आवश्यक था। प्रत्यर्थियों का यह निवेदन उपरोक्त अवमानना याचिकाओं में उनके द्वारा लिए गए रुख के समान है।

38 (1975) 4 एस. सी. सी. 714 39 संक्षेप में, '1872 का अधिनियम'

40 फुटनोट सं. 17 अभिषेक कुमार सिंह बनाम।

जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उम्मीदवारों द्वारा दिए गए वास्तविक सही उत्तरों की तुलना करने के लिए प्राथमिक डेटा नहीं है, क्योंकि प्राथमिक डेटा के अभाव में दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना असंभव होगा। मौका मिलने पर भी सुनवाई की अनुमति दी जाती है, प्रतिवादी निगम का निर्णय वही रहेगा। उस संबंध में रिलायंस को धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया था। डी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गुवाहाटी और Ors.4[1] 41.

आरई: गैर-द्वारा कार्यान्वयन आवेदन

चयनित उम्मीदवार: 47. गैर-चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर अभियोग आवेदनों पर आते हुए, उनका मामला यह है कि उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर

कि उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई थी, उत्तरदाताओं ने उत्तर पुस्तिका और उत्तर कुंजी 28.2.2017 पर प्रकाशित की थी। आवेदकों ने उसमें विभिन्न त्रुटियाँ पाई और व्यथित होने के कारण, उन्होंने डब्ल्यू. पी. संख्या दायर की थी। 10667/2017 और उच्च न्यायालय के समक्ष 21876/2017, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया। इसके अनुसार, एक जांच की गई जिसमें त्रुटियां थीं

इस पर ध्यान दिया गया और तदनुसार, परीक्षण एजेंसी ने उत्तरदाताओं को एक संशोधित सूची प्रस्तुत की। उस संशोधित योग्यता सूची में, इन आवेदकों ने नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों की तुलना में योग्यता सूची में वे उच्च स्थान पर रहे। उत्तरदाताओं ने, संशोधित सूची के अनुसार नियुक्तियों पर फिर से काम करने के बजाय,

48. ये आवेदक प्रस्तुत करेंगे कि उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित 2.3.2020 आदेश में उल्लिखित विभिन्न आधारों को पहले ही खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 28.11.2017 के निर्णय में, जिसके द्वारा दिनांकित 11.8.2017 के पूर्व आदेश को दरकिनार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में कहा था कि नियुक्ति के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था

आदर्श आचार संहिता और सहायक अभियंताओं के पद पर नियमित चयन प्रकृति में नियमित था। कि राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य करने की आवश्यकता वर्तमान मामले में लागू नहीं थी क्योंकि आवश्यकता जी. ओ. दिनांक 13.12.2016 द्वारा की गई थी, जबकि विचाराधीन चयन प्रक्रिया 19.11.2016 पर शुरू हुई थी। कि

पदों का विज्ञापन करने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा दी गई थी, जिसे प्रतिवादी निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। चयन प्रक्रिया में दुर्भावनापूर्ण तर्क को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और उक्त निर्णय को इस न्यायालय ने बरकरार रखा था।

41 (2015) 8 एस. सी. सी. 519 [2021] 5 एस. सी. आर.

49. यह आग्रह किया गया कि परीक्षण एजेंसी कुंजी में गलत प्रविष्टियों के सुधार का अभ्यास करे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे

संशोधित योग्यता सूची वाले 8.8.2017 दिनांकित उत्तरदाताओं और इसलिए, उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प संशोधित योग्यता सूची पर कार्य करना था। यह प्रस्तुत किया गया था कि पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना (दिनांक 2.3.2020 के आदेश द्वारा) जब यह केवल मूल्यांकन में कुछ दुर्बलताओं का मामला था, तो यह अनुचित, मनमाना और असमान होगा। इस याचिका के समर्थन में, भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भरता रखी गई है। वी. राजेश पी. यू. पुथुवलनिकथु & Anr.42, Ors.44। 50. तब यह आग्रह किया गया कि आनुपातिकता के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा आधुनिक दंत चिकित्सा में अनुच्छेद 14 के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई है। महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य। वी. मध्य प्रदेश राज्य और ओआरएस। 45 और इसे ध्यान में रखते हुए, पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना, असमान होने के कारण, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

51. इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि कदाचार और दुर्भावना के मामले में भी पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि दागी होना चाहिए। और बेदाग उम्मीदवारों को अलग किया जाना चाहिए। इस याचिका के समर्थन में,

इंदरप्रीत सिंह काहलों और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया गया था। वी. पंजाब राज्य और अन्य "। , गिरजेश श्रीवास्तव और अन्य। वी. मध्य प्रदेश राज्य और Ors.47 और जोगिंदर पाल और अन्य। वी. पंजाब राज्य और Ors.48। तब यह आग्रह किया गया कि

42 (2003) 7 एससीसी 285 43 43 (2013) 4 एससीसी 690 44 (2005) 12 एससीसी 688 45 (2016) 7 एससीसी 353 46 (2006) 11 एससीसी 356 47 (2010) 10 एससीसी 707 48 (2014) 6 एससीसी 644 अभिषेक कुमार सिंह बनाम।

जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ओआरएस। वी. वी. के. कपूर और अन्र "। . इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा पारित 2.3.2020 दिनांकित आदेश उपरोक्त निर्णयों के जनादेश के खिलाफ है।

आरई: हस्तांतरण याचिका: 52. टी. पी. में (ग) नं. 1209/2020, याचिकाकर्ताओं ने संपर्क किया है।

नं. 491/2020 और सहयोगी अवमानना याचिकाएँ। डब्ल्यू. पी. में (ग) उच्च न्यायालय के समक्ष संख्या 13083,2020 (सेवा एकल), याचिकाकर्ताओं ने अपने स्वयं के विशेषज्ञ, आई. आई. आई. टी. दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉ. ए. वी. सुब्रमण्यम की राय पर भरोसा किया है, जिन्होंने आई. आई. टी. और आई. आई. आई. टी. की रिपोर्टों को अस्वीकार कर दिया था और राय दी थी कि फिंगरप्रिंटिंग की 'चेकसम' विधि का उम्मीदवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। 53. ये याचिकाकर्ता प्रस्तुत करेंगे कि विशेषज्ञों की सत्यता और वजन के मुद्दे की विभागीय जांच में जांच की जाएगी और इस न्यायालय के समक्ष नहीं जाया जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का आग्रह है कि वे अपने विशेषज्ञ को पेश करना चाहते हैं और अन्य विशेषज्ञों की प्रतिपरीक्षा करना चाहते हैं, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। कि प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ताओं को सुनने का अवसर देकर विभागीय जांच करानी चाहिए थी, ताकि पक्षकार अपने साक्षय का नेतृत्व कर सकें और ऐसी जांच के परिणाम के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए था।

54. हमने श्री मुकुल रोहतगी, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, श्री रवींद्र रायजादा, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री गौरव मेहरोत्रा, श्री कुमार शिवम और श्री रोहित अनिल राठी, विद्वान वकील-याचिकाकर्ताओं के लिए; श्री निजाम एम. पाशा, याचिकाकर्ताओं के लिए; सुश्री संस्कृति पाठक, आवेदकों के लिए विद्वान वकील (संशोधित योग्यता सूची के अनुसार सफल उम्मीदवार); और श्री विकास सिंह, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है।

55. हमारे विचार के लिए जो व्यापक बिंदु सामने आते हैं, वे हैं:

1. क्या 4.12.2018 दिनांकित आदेश उत्तरदाताओं द्वारा पारित किया गया है

इस न्यायालय के दिनांकित 15.11.2018 के निर्णय के लिए, उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.11.2017 के निर्णय के अनुपालन की आवश्यकता है, क्योंकि

सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने और भुगतान करने में जानबूझकर विफलता याचिकाकर्ताओं का बकाया?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. क्या प्रत्यर्थियों द्वारा पारित दिनांकित समाप्ति आदेश इस न्यायालय के दिनांकित 15.11.2018 के निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा में है और इसके सिद्धांतों का पालन नहीं करने के लिए है

प्राकृतिक न्याय और इस प्रकार गैर-कानूनी है? समन्वय

56. शुरुआत में, हम पहले रिट याचिका की रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति का जवाब देना उचित समझते हैं।

2.3.2020 विषय वस्तु है। इस प्रकार, इन मामलों में तर्क अतिव्यापी होंगे। इसमें, इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में स्वयं-समान आदेश का विरोध किया गया है। तथ्य यह है कि अन्य प्रभावित समान रूप से रखे गए व्यक्तियों ने सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की हैं और जिन्हें लंबित बताया गया है, इस न्यायालय के लिए रिट याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। क्योंकि, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उद्देश्य से संबंधित मुद्दे का उत्तर केवल इस न्यायालय द्वारा अवमानना याचिकाओं में उचित रूप से दिए जाने की आवश्यकता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश की व्याख्या या व्याख्या करना उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं है। पक्षों के बीच कार्यवाही। उच्च न्यायालय केवल इस न्यायालय के आदेश का पालन कर सकता है जो उस पर बाध्यकारी है। तदनुसार हम नहीं हैं

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका की स्थिरता के बारे में प्रतिवादियों द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्ति से प्रभावित होकर समान रूप से रखे गए व्यक्तियों द्वारा सीधे इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया

दिनांकित 2.3.2020 का विवादित आदेश, जो अवमानना याचिकाओं के दूसरे समूह का भी विषय है।

अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

57. जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम अवमानना के दो समूहों से निपट रहे हैं

याचिकाएँ। पहला सेट उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.11.2017 के आदेश के गैर-अनुपालन के बारे में शिकायत करता है, जिसे इस न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) संख्या विशेष अनुमति याचिकाओं के निपटारे के परिणामस्वरूप बरकरार रखा गया था। 5410-5419 / 2018 दिनांकित आदेश 16.3.2018, और विशेष रूप से,

इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 15.11.20185⁰ आदेश में प्रतिवादियों को दिनांकित उच्च न्यायालय के निर्णय पर पहले कार्रवाई करने का निर्देश दिया

28.11.2017 और उसके बाद ही एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करके कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ें। यह विवाद में नहीं है कि इस न्यायालय के दिनांक 15.11.2018 के फैसले के बाद, एक परिणामी आदेश था

उच्च न्यायालय द्वारा 26.11.2018 पर पारित किया गया। इस प्रकार उत्तरदाताओं ने सेवा की निरंतरता के बिना संबंधित पदों पर याचिकाकर्ताओं को फिर से नियुक्त करते हुए दिनांकित 4.12.2018 (उपरोक्त पैराग्राफ 2 में पुनः प्रस्तुत) आदेश जारी किया और

बकाया राशि।

58. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया और इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया स्पष्ट निर्देश याचिकाकर्ताओं को पूर्ण वेतन के साथ उसी पद पर बहाल करना था। न अधिक और न ही कम। इसलिए, उत्तरदाता सेवा की निरंतरता और पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश जारी करने के लिए बाध्य थे। तर्क यह पहली बार में आकर्षक है, लेकिन उच्च न्यायालय और अंत में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की गहरी जांच पर, यह देखा गया है कि यह निर्देश याचिकाकर्ताओं को सहायक अभियंता (सिविल), सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) और सहायक अभियंता (कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार/के पदों पर काम करने की अनुमति देने तक सीमित है।

विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स) और उन्हें महीने-दर-महीने नियमित वेतन का भुगतान करना जब भी यह देय हो और उन्हें देय हो। इसे दिनांकित 28.11.2017 आदेश के अंतिम पैराग्राफ से समझा जा सकता है।

(ऊपर पैराग्राफ 9 में पुनः प्रस्तुत किया गया)। इसी तर्ज पर, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा पारित दिनांक 11.8.2017 के समाप्ति आदेश को चुनौती देने वाली एक अन्य रिट याचिका का निपटारा किया, दिनांक 12.12.2017 के आदेश के माध्यम से (उपरोक्त पैराग्राफ 10 में पुनः प्रस्तुत)। इन आदेशों में, उच्च न्यायालय द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "याचिकाकर्ताओं को संबंधित पदों पर काम करने की अनुमति देने और उन्हें नियमित वेतन का भुगतान करने के लिए है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.11.2017 के आदेश को इस न्यायालय द्वारा 16.3.2018 पर बरकरार रखा गया

था। उस क्रम में, दोनों पक्षों की दलीलें दर्ज करने के बाद, याचिकाओं का निपटारा करते समय यह निम्नानुसार देखा जाता है:

50 फुटनोट संख्या 2 [2021] 5 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

जो भी हो, विवादित निर्णय से गुजरने के बाद, हम यह नहीं पाते हैं कि दरवाजा अभी तक बंद है। यह याचिकाकर्ताओं के लिए है, यदि उन्हें इस तरह की सलाह दी जाती है, तो वे सुधारों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से काम करने की स्वतंत्रता के लिए स्वयं उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँ, यदि उच्च न्यायालय का भी विचार है कि सुधार बनाने की जरूरत है।

इसलिए, प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय द्वारा 25.7.2018 पर इसका निपटारा किया गया। उस क्रम के अवलोकन पर (में पुनः प्रस्तुत)

ऊपर पैराग्राफ 12), यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं को सेवा की निरंतरता और पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया है। यहां तक कि प्रतिवादियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करने वाले इस न्यायालय के फैसले में, दिनांक 15.11.2018 (उपरोक्त पैराग्राफ 14 में पुनः प्रस्तुत) के आदेश के माध्यम से, ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। सीमित

निर्देश यह है कि प्रत्यर्थियों को पहले उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय पर कार्य करना चाहिए और उसके बाद ही एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करके कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ना चाहिए। 59. उच्च न्यायालय और ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद, यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय ने 11.8.2017 के पहले समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया था।

केवल इस आधार पर कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया था और आगे कहा गया कि समग्र रूप से चयन दागी उम्मीदवारों को बेदाग से अलग करने की कवायद किए बिना रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। इस प्रकार अवलोकन करते हुए, यह स्पष्ट किया गया कि उत्तरदाता कानून के अनुसार एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र थे।

60. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमें उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पाठ में, उत्तरदाताओं के लिए आदेश की तारीख से याचिकाकर्ताओं को उन्हीं पदों पर फिर से नियुक्त करने और उन्हें महीने दर महीने नियमित वेतन का भुगतान करने के लिए आदेश (दिनांक 4.12.2018) जारी करने का अधिकार था। उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ताओं को सेवा की निरंतरता और पिछले वेतन के साथ बहाल करने का स्पष्ट निर्देश नहीं है। इसके बजाय, अभिव्यक्ति अभिषेक कुमार सिंह बनाम।

जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इसका उपयोग केवल "याचिकाकर्ताओं को उन पदों पर काम करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है जो उनकी समाप्ति के समय उनके पास थे और" उन्हें महीने-दर-महीने नियमित वेतन का भुगतान करना "और" जब भी उन्हें वेतन मिलता है "। इस प्रकार समझा जाए तो यह न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा का मामला नहीं है।

61. तर्क, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.11.2017 के कथित आदेशों के याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रचारित व्याख्या और

मुखोपाध्याय 53 और मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम। महिंदर सी. मेहता और Ors.54। 62. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अवमानना की कार्रवाई केवल न्यायालय के आदेश की स्थापित जानबूझकर अवज्ञा के संबंध में आगे बढ़नी चाहिए। यह

राम किशन में निर्णय के पैराग्राफ 12 में अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

" 12. इस प्रकार, अवमानकर्ता को दंडित करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि आदेश की अवज्ञा "जानबूझकर" है। "विलफुल" शब्द एक मानसिक तत्व का परिचय देता है और इसलिए, देखने की आवश्यकता होती है।

एक व्यक्ति/अवमानक के मन में उसके कार्यों का आकलन करके, जो किसी के मन की स्थिति का संकेत है। 'विलफुल' का अर्थ है जानबूझकर जानबूझकर, सचेत, सोच-समझकर और जानबूझकर उससे होने वाले परिणामों की पूरी जानकारी के साथ। इसमें आकस्मिक, आकस्मिक, प्रामाणिक या अनजाने में किए गए कार्य या वास्तविक अक्षमता शामिल नहीं है। जानबूझकर किए गए कार्यों में अनैच्छिक या लापरवाही वाले कार्य शामिल नहीं हैं। इस कार्य को "बुरे उद्देश्य या उचित बहाने के बिना या जिद्दी, जिद्दी या जिद्दी तरीके से" किया जाना चाहिए। विपरीत रूप से "। जानबूझकर किए गए कार्य को लापरवाही, विचारहीन, लापरवाही या अनजाने में किए गए कार्य से अलग किया जाना चाहिए। इसमें लापरवाही या अनैच्छिक रूप से किया गया कोई भी कार्य शामिल नहीं है। एक व्यक्ति के जानबूझकर आचरण का मतलब है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है और ऐसा करने का इरादा रखता है। इसलिए, एक होना चाहिए

52 ए. आई. आर 1961 एस. सी 221 53 फुटनोट संख्या 49 पर ऊपर दिया गया है

54 (2007) 13 एससीसी 220

55 फुटनोट संख्या 25 [2021] 5 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

उसकी ओर से बुरे उद्देश्य के साथ गणना की गई कार्रवाई। भले ही वहाँ

सुंदरम पिल्लई बनाम। वी. आर. पट्टाबिरमन ", राकापल्ली राजा राम गोपाल राव बनाम। नरगनी गोविंद सेहराव ", नियाज़

मोहम्मद वी। हरियाणा राज्य, चोरडिया ऑटोमोबाइल बनाम। एस. मूसा ", अशोक पेपर कामगार यूनियन बनाम। धरम

गोधा ", उड़ीसा राज्य बनाम। मोहम्मद. इलियास 6 1 और यूनीवर्थ

टेक्सटाइल्स लिमिटेड v. सी. सी. ई 62) "।

(जोर दिया गया)

शिक्षा निदेशक के व्याख्यान को याद करना उपयोगी है,

उत्तरांचल 6 3 और के. जी. देरासरी और अन्र में भी। वी. भारत संघ और अन्य। 64 ; जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में, प्राथमिक चिंता यह होनी चाहिए कि क्या आयोग के कार्य

या चूक को उस पक्ष का अपमानजनक आचरण कहा जा सकता है जिस पर न्यायालय के निर्णय और आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करने में चूक करने का आरोप है। इसके अलावा, न्यायालय को मूल कार्यवाहियों को इस तरीके से तय करने की शक्ति अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए जिससे न्यायालय निर्णय और आदेश पारित नहीं करता है। यह आदेश की शुद्धता या अन्यथा में जाने या अतिरिक्त निर्देश देने या किसी भी निर्देश को हटाने के लिए भी खुला नहीं है, जिसे केवल समीक्षा अधिकार क्षेत्र में अपनाया जा सकता है और अवमानना कार्यवाही नहीं।

63. रिलायंस ने दीपाली गुंडू सुरवासेस पर रखा

याचिकाकर्ता विरोधाभासी हैं। यह गलत तरीके से समाप्त करने का मामला था और हकदार था।

याचिकाकर्ता को उसमें पिछले वेतन की राहत दी गई है। इसके बजाय उत्तरदाताओं ने कानूनी के माध्यम से पी. करुपैया (मृत) में व्याख्या पर भरोसा किया है।

56 (1985) 1 एस. सी. सी. 591

60 (2003) 11 एससीसी 1 61 (2006) 1 एससीसी 275

62 (2013) 9 एस. सी. सी. 753

63 फुटनोट संख्या 13 पर ऊपर दिया गया है 64 (2001) 10 एससीसी 496

65 फुटनोट सं. 7 अभिषेक कुमार सिंह बनाम।

जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रतिनिधि v. महाप्रबंधक, थ्रूवल्लुवर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड "और जे. के. सिंथेटिक्स Ltd.67 ने पिछले वेतन के संबंध में कानूनी स्थिति को दोहराया है। यह माना गया है कि यह बहाली का स्वतः या स्वाभाविक परिणाम नहीं है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि पहले से ही दर्ज किए गए कारणों के लिए, जिसमें यह भी शामिल है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सीमित निर्देश और इस न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया गया था, याचिकाकर्ताओं को संबंधित पदों पर काम करने की अनुमति देना और उन्हें नियमित वेतन का भुगतान करना था, जब भी वे उन्हें प्राप्त हों, विचाराधीन याचिका को केवल अस्वीकार किए जाने के लिए दर्ज करने की आवश्यकता है।

64. जो भी हो, तय की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मामला योग्य नहीं है

प्रत्यर्थियों के अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश की असंवेदनशील, बहुत कम जानबूझकर अवज्ञा का परीक्षण। दूसरे शब्दों में, जिस आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए दिनांकित 4.12.2018 आदेश के संदर्भ में उत्तरदाताओं के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की गई है, वह कमजोर है। इसलिए, इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

65. अब हम अवमानना के दूसरे समूह पर लौटेंगे।

याचिकाएं, जो दिनांक 2.3.2020 जारी किए गए समाप्ति आदेश से निकलती हैं

उत्तरदाताओं द्वारा। ये याचिकाएं अनिवार्य रूप से इस आरोप पर आगे बढ़ती हैं कि प्रतिवादियों ने सिविल अपील संख्या में पारित इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है। 11017-11018 / 2018 उक्त आदेश में स्पष्ट निर्देश के बावजूद याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को सुनवाई का पूर्व अवसर प्रदान नहीं करना। के लिए इस शिकायत पर विचार करते हुए, हम दिनांकित 15.11.2018 आदेश के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस प्रकार है: -

14. इस न्यायालय के समक्ष 16 मार्च, 2018 के आदेश के पहले पैराग्राफ में उल्लिखित सीमित याचिका अपीलार्थियों को प्रश्न और उत्तर पुस्तिकाओं पर फिर से काम करने और योग्यता सूची को संशोधित करने और प्रभावित उम्मीदवारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नया, तर्कपूर्ण आदेश जारी करने की अनुमति देने के लिए थी। यह विकल्प खुला रखा गया है। यह अपीलार्थियों के लिए है कि वे इसे आगे बढ़ाएँ। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं को, सबसे पहले, 28 नवंबर, 2017 के उच्च न्यायालय के निर्णय पर कार्य करना चाहिए, जिसके तहत मुख्य अभियंता द्वारा 11 नवंबर को पारित आदेश पारित किया गया है।

अगस्त, 2017 को रद्द कर दिया गया है और अलग कर दिया गया है। द.

इसके बाद अपीलार्थी इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं।

66 (2018) 12 एस. सी. सी. 663 (पैराग्राफ 10) 67 फुटनोट नंबर 10 [2021] 5 एस. सी. आर. पर ऊपर दिया गया है।

एक नया, तर्कपूर्ण आदेश पारित करके कानून के साथ। वास्तव में, जबकि

ऐसा करने पर, अपीलार्थी विचार कर सकते हैं -

पिछली जांच रिपोर्टों के साथ-साथ अन्य सभी प्रासंगिक सामग्री /

दस्तावेज़ जो उनके लिए उपलब्ध हो गए हैं। हम बनाते हैं।

यह स्पष्ट है कि हमने राय की प्रभावकारिता पर विस्तार नहीं किया है

आई. आई. आई. टी. इलाहाबाद और आई. आई. टी. के विशेषज्ञों द्वारा दिया गया

कानपुर "।

(जोर दिया गया)

66. अदालत ने 11.8.2017 दिनांकित समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया था।

उत्तरदाताओं द्वारा जारी किया गया, केवल इस आधार पर कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। साथ ही, प्रत्यर्थियों को कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करने का अभ्यास करना भी शामिल था। वास्तव में, न्यायालय को उम्मीद थी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई करने से पहले, प्रत्यर्थियों को उन्हें सुनने का अवसर देना चाहिए। यह अवलोकन प्रासंगिक है। यह दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करने के लिए उनके द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर उचित विचार करने के बाद उत्तरदाताओं द्वारा अंततः बनाई गई राय पर निर्भर करता है, जो संभव था या अन्यथा। क्या उत्तरदाताओं ने यह निष्कर्ष निकाला था कि दागी को बेदाग से अलग करना संभव था

आदेश में, यह स्पष्ट है कि उचित जांच के बाद और मामले के सभी पहलुओं, विशेष रूप से जांच रिपोर्टों और एस. आई. टी. की अंतिम रिपोर्ट सहित विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं की राय थी कि उस आदेश में दर्ज कारणों से दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं था। हम उक्त कारणों की शुद्धता में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि यह उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं में चुनौती का विषय है। न्यायालय (जैसा कि पूरक शपथपत्र के अनुलग्नक आर-29 में बताया गया है), न केवल सहायक अभियंताओं द्वारा, बल्कि कनिष्ठ अभियंताओं, नियमित ग्रेड क्लर्कों और अन्य लोगों द्वारा भी दायर किया गया है।

67. इसलिए हम अपने विश्लेषण को सीमित रखेंगे कि क्या

उत्तरदाताओं को दिनांकित विषय समाप्ति आदेश पारित करने में उचित ठहराया गया था

2.3.2020 याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का पूर्व अवसर दिए बिना।

अभिषेक कुमार सिंह बनाम। जी. पटनायक और ओआरएस। [ए. एम. खानविलकर, जे.]

दिनांक 1 के कथित आदेश में उत्तरदाताओं द्वारा किए गए निष्कर्ष के आलोक में-कि कानून की दृष्टि से दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं था, यह इस बात का पालन करना चाहिए कि उत्तरदाता पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं और याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस दिए बिना विवादित आदेश पारित कर सकते हैं। हम 0 में प्रदर्शनी के संदर्भ में इस दृष्टिकोण को लेने में दृढ़ हैं। चक्रधर 68 और जोगिंदर पाल 6 9, वीरेंद्र कुमार गौतम और विकास प्रताप सिंह और अन्य मामलों में इस न्यायालय के बाद के निर्णय। वी. छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य "। , पक्षकारों के बीच पहले की अपीलों का निपटारा करते हुए इस न्यायालय के दिनांकित 15.11.20182 निर्णय के पैराग्राफ 12 में लिखा गया।

68. दूसरे शब्दों में, क्योंकि उत्तरदाताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं था

कानूनी रूप से, दिनांकित 2.3.2020 समाप्ति आदेश में उल्लिखित कारणों के कारण, उत्तरदाताओं द्वारा उक्त समाप्ति जारी करने में कुछ भी गलत नहीं था।

याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को पूर्व अवसर प्रदान किए बिना आदेश। यदि यह इस न्यायालय के दिनांकित 15.11.2018 के निर्णय के संदर्भ में दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करने की संभावना का मामला होता, जिसमें उत्तरदाताओं को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, तो यह एक अलग मामला होता। केवल उस मामले में, याचिकाकर्ता और इसी तरह रखे गए व्यक्ति इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.11.2018 द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की शिकायत कर सकते हैं।

69. इस प्रकार कहने के बाद, हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि विषय समाप्ति आदेश के संदर्भ में अवमानना याचिकाओं का दूसरा सेट भी दिनांकित है।

2.3.2020 इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को दिनांकित 15.11.2018 आदेश के माध्यम से अवसर देने के लिए दिए गए निर्देश का उल्लंघन करना, विफल होना चाहिए।

70. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रभावित व्यक्तियों के विभिन्न समूहों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं

दिनांकित विषय समाप्ति आदेश के विरुद्ध समान रूप से व्यक्तियों को रखा जाना 2.3.2020 और चूंकि वे लंबित हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उन मामलों में याचिकाकर्ताओं के लिए किए जा रहे पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए, जो हमारे सामने नहीं हैं, हम संबंधित तर्कों की जांच करने से बचते हैं।

कथित आदेश की न्याय्यता और वैधता और अन्य सभी विवादों को छोड़ दें।

68 फुटनोट नं. 17 पर ऊपर दिया गया है 69 फुटनोट संख्या 48 पर ऊपर दिया गया है

71 (2013) 14 एससीसी 494

72 फुटनोट संख्या 2 [2021] 5 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी तरह से एक ही विषय के संबंध में किसी भी विसंगति और परस्पर विरोधी निष्कर्षों को दूर करने के लिए अतिव्यापी मुद्दों से जुड़ी अन्य सभी लंबित रिट याचिकाओं के साथ समान रूप से सुनवाई की जा सकती है। वास्तव में, यदि उच्च न्यायालय अभिलिखित निष्कर्ष से सहमत होता है उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित 2.3.2020 आदेश में कहा गया है कि दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं है, उच्च न्यायालय इस निर्णय में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों से बाध्य होगा। क्योंकि, उस स्थिति में, कानूनी रूप से, प्रत्यर्थियों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने और चुनौती के तहत समाप्ति आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ताओं और इसी तरह रखे गए व्यक्तियों को पूर्व सुनवाई या अवसर दें।

71. तदनुसार, संबंधित अवमानना याचिकाओं में जारी कारणदर्शक नोटिसों का निर्वहन करते हुए और सभी अवमानना का निपटारा करते हुए

याचिकाओं पर हमला करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने उपचार को आगे बढ़ाने के लिए हम उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका और इस न्यायालय में दायर रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं को खारिज करना उचित समझते हैं। 2.3.2020 दिनांकित आदेश में आगे निर्देश दिया गया है कि पूरक शपथ पत्र के अनुलग्नक आर-29 में संदर्भित और परस्पर जुड़े मुद्दों से जुड़ी सभी याचिकाएं या लंबित या दायर की जाने वाली कोई अन्य रिट याचिका, उच्च न्यायालय में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं की सूची, समान रूप से सुनवाई के लिए। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह रिट याचिकाओं का शीघ्रता से निपटान करे, इस फैसले में तय किए गए निर्णय के अलावा अन्य सभी तर्कों को संबंधित पक्षों के लिए खुला छोड़ दे जिन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाए। कानून के अनुसार इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

72. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं: -

(1) संबंधित अवमानना में कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए गए याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। अवमानना याचिकाएं खारिज की जाती हैं;

(2) स्थानांतरण याचिका खारिज हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उसमें निर्दिष्ट रिट याचिकाएं अब पहले आगे बढ़ेंगी। इस निर्णय के संदर्भ में उच्च न्यायालय;

(3)

रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता के साथ किया जाता है इसमें हस्तक्षेप/अभियोग में आवेदकों को शामिल करते हुए शेख कुमार सिंह v.

जी. पटनायक और ओआरएस।

[ए. एम. खानविलकर, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष अपने उपचार को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। उस रिट याचिका का निर्णय टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर किया जाना चाहिए।

इस निर्णय में इसी तरह के मुद्दों से जुड़ी अन्य लंबित या नई रिट याचिकाओं के साथ किया गया; और हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि समान सुनवाई के लिए अतिव्यापी मुद्दों से जुड़ी सभी रिट याचिकाओं पर एक साथ तेजी से विचार किया जाए। हम सभी विवादों को खुला छोड़ देते हैं सिवाय इसके कि

इस निर्णय में तय किए गए मुद्दे।

यहाँ लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। इस निर्णय के संदर्भ में सभी लंबित वार्ताकारों के रुख का निपटारा किया गया।

याचिकाओं का निपटारा किया गया।